वा से आ 96

एयर चीफ मार्शल आई एच लतीफ, पी वी एस एम
वायुसेनाध्यक्ष
द्वारा
वायु सेना आदेश
सं0 96

वायु सेना मुख्यालय

नई दिल्ली, शनिवार, 2 सितम्बर 1978

96 रिजर्व तथा सहायक वायु सेना अधिनियम 1952, और अधिनियम के नियम 1953

1 रिजर्व तथा सहायक वायु सेना अधिनियम 1952 और रिजर्व तथा सहायक वायु सेना अधिनियम के नियम 1953 की प्रति क्रमशः इस वायु सेना आदेश के परिशिष्ट 'क' और 'ख' के रूप में दी गई है।

2 यह वा से आ वायु सेना आदेशों सं0 349/76 और 350/76 को अधिक्रमित करता है।

मामला सं0 वा से मु/31776/18/रिजर्व.प्रशा.

आई एच लतीफ
एयर चीफ मार्शल
वायुसेनाध्यक्ष

------

वा से आ 96

परिशिष्ट 'क'

( वा से आ 96 / 78 देखें )

रिजर्व तथा सहायक वायु सेना अधिनियम 1952
1952 की सं0 62

यह अधिनियम कतिपय वायु सेना रिजर्वों एवं सहायक वायु सेना के गठन तथा नियमन और उससे संबंधित मामलों के लिए है।

( 22 अगस्त 1952 )

संसद द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाए :–

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ :– (1) यह अधिनियम रिजर्व तथा सहायक वायु सेना अधिनियम, 1952 कहलाएगा ।

(2) इसका विस्तार पूरे भारत में होगा ।

(3) यह अध्याय तत्काल प्रभाव से लागू होगा और शेष उपबंध उस तारीख से लागू होंगे जो केन्द्रीय सरकार राजकीय राजपत्र में धिसूचित करके नियत करे, और भिन्न–भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें नियत करे।

2. परिभाषाएं :– इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा आवश्यक न हो –

(क) 'रिजर्व वायु सेना' का अर्थ है इस अधिनियम के अन्तर्गत गठित और अनुरक्षित कोई भी रिजर्व वायु सेना;

(ख) 'सक्षम प्राधिकारी' का अर्थ है धारा 3 के अन्तर्गत नियुक्त वायुसेना अफसर अथवा दो या अधिक वायुसेना अफसरों की समिति;

(ग) "निर्धारित" का अर्थ है इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियमों द्वारा निर्धारित;

(घ) यहां प्रयुक्त अन्य सभी शब्द और अभिव्यक्तियां जो वायुसेना अधिनियम 1950 (1950 का 14वां) में परिभाषित हैं और इससे पूर्व परिभाषित नहीं किए गए हैं, उनका अर्थ वही होगा जो उस अधिनियम में बताया गया है।

3 सक्षम प्राधिकारी की नियुक्तिः– केन्द्रीय सरकार राजकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा एक वायुसेना अफसर अथवा दो या दो से अधिक वायुसेना अफसरों की एक समिति नियुक्त कर सकती है जो इस अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी का कोई भी अथवा वे सभी कार्य निष्पादित करेगी जो अधिसूचना में उल्लिखित हों।

## अध्याय **II**

## नियमित रिजर्व वायु सेना

4 नियमित रिजर्व वायु सेना का गठन :– केन्द्रीय सरकार इस अध्याय में आगे वर्णित ढंग से एक रिजर्व वायु सेना का गठन और अनुरक्षण करेगी जिसे 'नियमित रिजर्व वायु सेना कहा जाएगा और इसमें केवल धारा 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित अथवा नियुक्त व्यक्ति होंगे।

5 नियमित रिजर्व वायु सेना में भर्ती :– सक्षम प्राधिकारी, सामान्य अथवा विशेष आदेश के जरिए, नियमित रिजर्व वायु सेना में निम्नलिखित को स्थानान्तरित कर सकता है :–

(क) वायु सेना का कोई भी ऐसा अफसर अथवा वायुसैनिक जिसे अपने सेवा नियमों या शर्तो के अन्तर्गत किसी भी रिजर्व वायुसेना की सेवा में लिया जा सकता है यदि और जब भी उसका गठन किया जाए;

(ख) वायु सेना का कोई भी ऐसा अफसर अथवा वायुसैनिक जिसकी वायुसेना में कमीशन अथवा नियुक्ति इस अधिनियम की शुरूआत से पहले समाप्त हो चुकी है और जिसे अपनी कमीशन अथवा नियुक्ति की

वा से आ 96

शर्तो के अन्तर्गत किसी भी रिजर्व वायुसेना की सेवा में लिया जा सकता है, यदि और जब भी उसका गठन किया जाए;

(ग) कोई भी ऐसा अफसर अथवा वायुसैनिक जो वायुसेना में सेवा कर चुका हो और वहां से सेवानिवृत्त हो चुका हो; और इस प्रकार स्थानान्तरित किसी भी अफसर अथवा वायुसैनिक को उक्त रिजर्व का सदस्य माना जाएगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तो के अन्तर्गत, जिन्हें विशेष आदेश के जरिए निर्धारित किया जाए, इस अधिनियम के अन्तर्गत गठित और अनुरक्षित रिजर्व हवाई रक्षा अथवा सहायक वायुसेना के किसी भी सदस्य को नियमित रिजर्व वायु सेना में नियुक्त कर सकता है और जहां कोई सदस्य इस प्रकार नियुक्त किया जाता है, वह रिजर्व हवाई रक्षा अथवा सहायक वायुसेना का, जो भी स्थिति हो, सदस्य नहीं रहेगा और ऐसी नियुक्ति की तारीख से वह नियमित वायु सेना रिजर्व का सदस्य माना जाएगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी, ऐसे कारणों से जो उसके विचार से पर्याप्त हैं, उपधारा (1) अथवा उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी किए गए किसी भी आदेश को रद्द कर सकता है और ऐसा आदेश रद्द होने पर वह व्यक्ति जिसके संबंध में वह आदेश जारी किया गया था, नियमित रिजर्व वायु सेना का सदस्य नहीं रहेगा ।

6 <u>नियमित रिजर्व वायु सेना में व्यक्तियों के वर्ग</u>:– नियमित रिजर्व वायु सेना के सदस्य निम्नलिखित तीन वर्गो में विभाजित किए जाएंगे, अर्थात्

(क) जनरल ड्यूटी अफसर
(ख) ग्राउंड ड्यूटी अफसर
(ग) वायु सैनिक

और इस रिजर्व वायु सेना में स्थानान्तरण अथवा नियुक्ति पर प्रत्येक अफसर उसी रैंक का हकदार होगा जिस अंतिम रैंक पर रिजर्व वायु सेना में स्थानान्तरण या नियुक्ति से पूर्व वह वायु सेना, अथवा हवाई रक्षा रिजर्व अथवा सहायक वायु सेना में, जैसी भी स्थिति हो, नियुक्त था।

वा से आ 96

7 <u>सेवा की अवधि</u> :– (1) नियमित रिजर्व वायु सेना के प्रत्येक सदस्य को इस रिजर्व वा से की सेवा में लिया जा सकता है ।

(क) यदि वह रिजर्व वा से में धारा 5 की उपधारा (1) के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया जाता है तो उसकी रिजर्व वा से दायित्व की अवधि तक और

(ख) यदि वह रिजर्व वा से में धारा 5 की उपधारा (2) के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है तो जिस अवधि तक उसे हवाई रक्षा रिजर्व अथवा सहायक वायु सेना में, जैसी भी स्थिति हो, सेवा दायित्व था, उसकी बची हुई अवधि तक :

बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी को ऐसे किसी सदस्य की रिजर्व में सेवा की आवश्यकता आगे की ऐसी अवधि अथवा अवधियों के लिए हो, जो कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक न हो, जैसा वह उचित समझे।

स्पष्टीकरण I – इस उपधारा के प्रयोजनार्थ नियमित वायु सेना रिजर्व के किसी सदस्य के संबंध में "रिजर्व वा से में दायित्व अवधि" का अर्थ वह अवधि है जिसके लिए वायु सेना में अपनी सेवा नियमों व शर्तो के अंतर्गत किसी भी वायु सेना रिजर्व में, यदि उसका गठन होता और जब भी होता, वह सेवा का दायित्व रखता।

स्पष्टीकरण II – नियमित रिजर्व वायु सेना के किसी ऐसे सदस्य के संबंध में जिसका वायु सेना में कमीशन अथवा नियुक्ति इस अधिनियम के आरंभ होने से पूर्व समाप्त हो गई थी, रिजर्व में जिम्मेदारी का परिकलन करते समय ऐसी समाप्ति और ऐसे आरंभन के बीच की अवधि को शामिल किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) में कुछ भी समाविष्ट होने के बावजूद भी, निर्धारित आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् कोई भी व्यक्ति रिजर्व में सेवा का हकदार नहीं होगा।

8 रिजर्व में सेवा की समाप्ति – नियमित वायु सेना रिजर्व का प्रत्येक सदस्य उसमें अपनी सेवा की अवधि पूरी होने पर रिजर्व वा से का सदस्य नहीं रहेगा।

वा से आ 96

## अध्याय III

## हवाई रक्षा रिजर्व

9 <u>हवाई रक्षा रिजर्व का गठन</u> – केन्द्रीय सरकार इस अध्याय में आगे वर्णित ढंग से एक वायु सेना रिजर्व का गठन और अनुरक्षण करेगी जिसे 'हवाई रक्षा रिजर्व' कहा जाएगा और जिसमें धारा 16 के उपबंधों के अन्तर्गत भर्ती के लिए योग्य समझे गए व्यक्ति शामिल होंगे।

10 <u>हवाई रक्षा रिजर्व में व्यक्तियों के वर्ग</u> – हवाई रक्षा रिजर्व के सदस्य निम्नलिखित तीन वर्गो में विभाजित किए जाएंगे अर्थात्:–

(क) जनरल ड्यूटी अफसर;
(ख) ग्राउंड ड्यूटी अफसर; और
(ग) वायु सैनिक।

11 <u>पंजीकरण की अनिवार्यता</u> (1) भारत का प्रत्येक नागरिक जो –

(क) भारतीय वायुयान नियमावली 1937 के अंतर्गत जारी सार्वजनिक परिवहन पायलट लाइसेंस (बी लाइसेंस) धारक हो या धारक रह चुका हो, अथवा

(ख) जिसके पास न्यूनतम 200 घंटे एकल उड़ान का अनुभव हो, जिसमें न्यूनतम तीस अवतरण (लैंडिंग) शामिल हो, अथवा

(ग) भारतीय वायुयान नियमावली, 1937 के अंतर्गत जारी प्रथम श्रेणी मार्गनिर्देशक (नेवीगेटर) लाइसेंस धारक हो अथवा

(घ) जिसके पास विमानन का न्यूनतम चार वर्ष का अनुभव हो, जिसमें न्यूनतम छः सौ घंटे हवा में गुजारे हों, और इस अनुभव में से हवा में मार्गनिर्देशन का अनुभव एक सौ घंटे से कम का न हो, अथवा

(च) भारतीय विमान नियमावली, 1937 के अंतर्गत जारी प्रथम श्रेणी रेडियो टेलीग्राफ ऑपरेटर लाइसेंस धारक हो या धारक रहा हो, अथवा

वा से आ 96

(छ) भारतीय विमान नियमावली, 1937 के अंतर्गत जारी रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर लाइसेंस धारक हो या धारक रहा हो, अथवा

(ज) भारतीय विमान नियमावली, 1937 के अंतर्गत जारी ए, बी,सी,डी या एक्स श्रेणी में से किसी भी एक में ग्राउंड इंजीनियर लाइसेंस धारक हो या धारक रहा हो, अथवा

(झ) किसी हवाई अड्डे के संबंध में या वायुयान के नियंत्रण और संचलन के संबंध में ऐसी किसी हैसियत से जो निर्धारित की जाए, वर्तमान में नियुक्त अथवा किसी भी समय नियुक्त रहा हो, निर्धारित अवधि के अंदर, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, निर्धारित प्रपत्र उचित रूप से भरेगा या भरवाएगा, इस पर हस्ताक्षर करेगा और उसे अपने निवास स्थान या कार्य स्थल के निकटतम सक्षम प्राधिकारी के पास जमा करेगाः

लेकिन इस उपधारा में लिखित कुछ भी निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा –

(i) खंड (क) से (छ) तक विनिर्दिष्ट किसी भी वर्ग से संबंधित किसी भी व्यक्ति पर यदि वह 37 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, अथवा

(ii) खंड (ज) और (झ) में विनिर्दिष्ट किसी भी वर्ग से संबंधित किसी भी व्यक्ति पर, यदि वह पचास वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो

(2) उपधारा (1) में निहित उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुए, सक्षम प्राधिकारी, यदि इस बात के प्रति संतुष्ट है कि इस उपधारा के उपबंध किसी व्यक्ति पर लागू होते हैं, तो वह लिखित आदेश के जरिए उस व्यक्ति से आदेश में दिए समय के अंदर आदेश में विनिर्दिष्ट विवरण मांग सकता है और ऐसा व्यक्ति विनिर्दिष्ट समय में अपनी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार मांगा गया विवरण उपर्युक्त प्राधिकारी के पास निर्धारित प्रपत्र और ढंग से जमा कराएगा।

वा से आ 96

12 <u>जांच के लिए बुलाए जाने का दायित्व</u> – प्रत्येक ऐसे व्यक्ति, जिस पर धारा 11 के उपबंध लागू होते हैं, को धारा 13 के अन्तर्गत जांच के लिए बुलाया जाएगा –

(क) यदि वह धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (क) से (छ) मेंउल्लिखित वर्गो में से किसी से भी संबंधित है, अपने सैंतीस वर्ष पूरे करने तक, और

(ख) यदि वह उपर्युक्त उपधारा के खंड (ज) और (झ) में उल्लिखित वर्गो में से किसी एक से भी संबंधित हैं, अपने पचास वर्ष पूरे करने तक।

13 <u>जांच के लिए बुलाया जाना</u> – सक्षम प्राधिकारी धारा 12 के अन्तर्गत जांच के पात्र व्यक्ति को बुलवाने के लिए लिखित नोटिस भिजवा सकता है, जिसमें (नोटिस में) यह वर्णित होगा कि हवाई रक्षा रिजर्व में सेवा हेतु उस व्यक्ति की उपयुक्तता की जांच के लिए उस व्यक्ति को बुलाया जाता है और वह व्यक्ति नोटिस में उल्लिखित स्थान और समय पर विनिर्दिष्ट व्यक्ति के सम्मुख स्वयं को प्रस्तुत करे

14. <u>चिकित्सीय जांच</u> – धारा 13 के अन्तर्गत बुलाया गया प्रत्येक व्यक्ति, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक हो और जब भी आवश्यक हो जांच के लिए स्वयं को ऐसे चिकित्सा अधिकारी के सामने प्रस्तुत करेगा जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी निदेश करेगा तथा ऐसी जांच के प्रयोजनार्थ वह चिकित्सा अधिकारी के निदेशों का पालन करेगा।

15. <u>भर्ती के लिए उपयुक्त माने गए व्यक्तियों का पंजीकरण</u> :– उपर्युक्त ऐसी जांच और चिकित्सीय जांच के पश्चात्, यदि सक्षम प्राधिकारी किसी व्यक्ति को हवाई रक्षा रिजर्व में भर्ती के लिए उपयुक्त मानता है तो तदनुसार उस व्यक्ति को सूचित करेगा और निर्धारित स्वरूप व ढंग से अनुरक्षित पंजिका (रजिस्टर) में उस व्यक्ति का नाम व अन्य विनिर्दिष्ट विवरणों की प्रविष्टि करेगा।

16. <u>सेवा के लिए बुलाया जाना</u> :– सक्षम प्राधिकारी ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसका नाम धारा 15 के अनुसरण में अनुरक्षित रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है, लिखित नोटिस भेज सकता है जिस (नोटिस) में यह वर्णित होगा कि
उसे हवाई रक्षा रिजर्व में सेवा के लिए बुलाया जाता है और उसे स्वयं को

वा से आ 96

ऐसे स्थान और ऐसे समय पर और ऐसे प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना है जो नोटिस में विनिर्दिष्ट है, और वह व्यक्ति जिसको वह नोटिस दिया गया है वह इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से रिजर्व में भर्ती माना जाएगा।

17. <u>सेवा की अवधि</u> – (1) हवाई रक्षा रिजर्व में भर्ती माने गए निम्नलिखित प्रत्येक व्यक्ति पर निम्नलिखित सेवा का दायित्व होगा –

(क) यदि वह धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (क) से (छ) तक में उल्लिखित किसी वर्ग से संबंधित है, तो बयालीस वर्ष की आयु पूर्ण करने तक,
(ख) यदि वह उपर्युक्त उपधारा के खंड (ज) और (झ) में उल्लिखित किसी वर्ग से संबंधित है, तो पचपन वर्ष की आयु पूर्ण करने तक ।

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति उपधारा (1) में निर्दिष्ट आयु पूर्ण करने पर हवाई रक्षा रिजर्व का सदस्य नहीं रहेगा ।

## अध्याय IV
## सहायक वायु सेना

18. सहायक वायु सेना का गठन :– (1) केन्द्रीय सरकार इस अध्याय में आगे वर्णित ढंग से एक वायु सेना का गठन और अनुरक्षण करेगी जिसे सहायक वायु सेना कहा जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार सहायक वायु सेना की उतनी संख्या में स्क्वाड्रनों और यूनिटों का गठन कर सकती है जितनी यह उचित समझती है और यह किसी भी स्क्वाड्रन अथवा यूनिट का विघटन अथवा पुनर्गठन कर सकती है।

19. सहायक वायु सेना में व्यक्तियों के वर्ग :– सहायक वायु सेना के सदस्य निम्नलिखित वर्गो में विभाजित किए जाएंगे:–

(क) जनरल ड्यूटी अफसर;
(ख) ग्राउंड ड्यूटी अफसर; और
(ग) वायुसैनिक ।

वा से आ 96

20. सहायक वायु सेना के अफसर :– राष्ट्रपति सहायक वायु सेना में ऐसे व्यक्ति को अफसर के रूप में कमीशन प्रदान कर सकते हैं जिसे वे योग्य समझते हों और ऐसे व्यक्ति के रैंक का पदनाम वायु सेना में कमीशन प्राप्त अफसर के रैंक के समान होगा।

21. भर्ती के लिए योग्य व्यक्ति :– भारत का कोई भी नागरिक स्वयं को सहायक वायु सेना में भर्ती के लिए प्रस्तुत कर सकता है और यदि वह निर्धारित शर्तो को पूरा करता है तो वह निर्धारित नियमों के तहत भर्ती हो सकता है।

22. सेवा की अवधि :– भर्ती किए गए प्रत्येक अफसर और प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत इस संबंध में बनाए गए किसी भी नियम के अधीन उसकी नियुक्ति अथवा भर्ती की तारीख से पांच वर्ष की सेवा करना आवश्यक होगा, लेकिन

सेवा की यह अवधि पूरी होने पर वह स्वेच्छा से आगे भी अपनी सेवा दे सकता है। ऐसी प्रत्येक अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

23. <u>सेवा की समाप्ति</u> :– सहायक वायु सेना में भर्ती किए गए किसी भी अफसर अथवा व्यक्ति की सेवा, उसकी सेवा अवधि पूर्ण होने से पूर्व विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में समाप्त की जा सकती है।

24. <u>सलाहकार समिति</u> – (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के आरम्भ होने के पश्चात् यथाशीघ्र निम्नलिखित का गठन करेगी –

(क) पूरे भारत के लिए एक केन्द्रीय सलाहकार समिति;
(ख) प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य सलाहकार समिति; और
(ग) सहायक वायु सेना की प्रत्येक यूनिट के लिए एक यूनिट सलाहकार समिति ।

(2) सामान्यतः केन्द्रीय सलाहकार समिति का कर्तव्य सहायक वायु सेना से संबंधित मामलों में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना है। राज्य सलाहकार समिति का कर्तव्य राज्य में स्क्वाड्रन अथवा यूनिट के गठन अथवा राज्य में पहले से स्थापित स्क्वाड्रन अथवा यूनिट से संबंधित मामलों में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना होगा।

वा से आ 96

(3) सलाहकार समिति के कर्तव्य, उसकी शक्तियां और प्रक्रिया और विशेषतः ऐसे मामलों में, जिनमें सलाहकार समिति से सलाह मांगी जा सकती है, यथा निर्धारित होगी।

## <u>अध्याय V</u>

## <u>रिजर्व व सहायक वायु सेनाओं के सदस्यों का दायित्व व अनुशासन</u>

25. <u>सेवा के लिए बुलाए जाने का दायित्व</u> :– वायु सेना रिजर्व अथवा सहायक वायु सेना के प्रत्येक सदस्य को अपनी सेवा अवधि के दौरान निम्नलिखित के लिए बुलाया जा सकेगा –

(क) विनिर्दिष्ट अवधि हेतु प्रशिक्षण के लिए और चिकित्सीय जांच के लिए,

(ख) सिविल प्राधिकारियों की सहायता के लिए,
(ग) भारत में अथवा विदेश में वायु सेना सेवा के लिए।

26 वायु सेना अधिनियम, 1950 का लागू होना – वायु सेना रिजर्व अथवा सहायक वायु सेना का प्रत्येक सदस्य इस अधिनियम के अंतर्गत प्रशिक्षण, चिकित्सीय परीक्षण अथवा सेवा के लिए बुलाए जाने पर, वायु सेना अधिनियम 1950 (1950 का XIV) और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार वायुसेना से संबंधित और समान रैंक का कोई व्यक्ति उपर्युक्त अधिनियम और नियमों के अधीन होगा और तब तक अधीन रहेगा जब तक वह ऐसे प्रशिक्षण, चिकित्सीय परीक्षण अथवा सेवा, जो भी स्थिति हो, से मुक्त नहीं कर दिया जाता है।

## अध्याय VI

## विविध

27. उन व्यक्तियों, को जिन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत सेवा करना आवश्यक है, सिविल नौकरी में बहाल करना– ऐसे प्रत्येक नियोक्ता का, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को धारा 25 के अंतर्गत नियुक्ति के लिए बुलाया जाता है, यह कर्तव्य होगा कि वह उस व्यक्ति को आवश्यक छुट्टियां प्रदान करे और वह अवधि जिसके लिए वह बुलाया गया था, समाप्त होने पर ऐसे कार्य पर और ऐसी शर्तो पर पुनः बहाल करे जो उसके लिए उस कार्य और शर्तो से कम अनुकूल न हो, जो उस पर उस समय लागू होती यदि उसको वहां से न बुलाया गया होता ।

वा से आ 96

बशर्ते कि यदि नियोक्ता ऐसे व्यक्ति को बहाल करने से इंकार करता है अथवा ऐसे व्यक्ति को बहाली करने के अपने दायित्व से इंकार करता है अथवा ऐसे व्यक्ति की बहाली नियोक्ता द्वारा किसी भी कारण से अव्यावहारिक दर्शाई जाती है तो कोई भी पक्ष इस मामले को विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पास ले जा सकता है और वह प्राधिकारी उसके सामने प्रस्तुत किए गए समस्त विवरणों पर विचार करने और मामले में विनिर्दिष्ट अन्य जांच करने के पश्चात् निम्नलिखित एक आदेश जारी करेगा :–

(क) नियोक्ता को इस धारा के उपबंध से छूट देना अथवा
(ख) ऐसे व्यक्ति की पुनः नियुक्ति की सिफारिश ऐसी शर्तो पर करना जे प्राधिकारी उचित समझता हो, अथवा
(ग) नियोक्ता के पुनः नियुक्ति में विफल अथवा अक्षम होने पर नियोक्ता को ऐसे व्यक्ति को मुआवजे की इतनी रकम देनी होगी जो उसके नियोक्ता द्वारा दिए गए अंतिम पारिश्रमिक के छः माह की कुल रकम से अधिक न हो।

(2) यदि कोई नियोक्ता उपधारा (1) के परंतुक में संदर्भित किसी प्राधिकारी के आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो वह जुर्माने की सजा का भागी होगा। जुर्माने की राशि एक हजार तक बढ़ाई जा सकती है और वह अदालत जिसके द्वारा नियोक्ता को इस धारा के अंतर्गत सजा दी गई है, उसी के द्वारा नियोक्ता को यह आदेश दिया जाएगा, यदि उपर्युक्त प्राधिकारी द्वारा पहले आदेश न दिया गया हो, कि वह जिस व्यक्ति को पुनः रोजगार में लगाने में विफल रहा है उसे उसके अंतिम पारिश्रमिक की दर से जो नियोक्ता द्वारा उसको देय था, छः महीने के पारिश्रमिक का भुगतान करे और कथित प्राधिकारी अथवा अदालत द्वारा भुगतान किए जाने के लिए तय की गई आवश्यक राशि इस प्रकार वसूली योग्य होगी मानो यह ऐसी अदालत द्वारा लगाया गया जुर्माना हो।

(3) इस धारा के अंतर्गत होने वाली कार्यवाही में नियोक्ता के लिए यह बचाव होगा कि वह यह सिद्ध करे कि पहले नियुक्त संबंधित व्यक्ति ने धारा 25 के अंतर्गत जिस अवधि के लिए उसको बुलाया गया था, उसके समाप्त होने के दो माह के भीतर बहाली के लिए आवेदन नहीं किया था।

वा से आ 96

(4) एक नियोक्ता पर उपधारा (1) के माध्यम से अधिरोपित उस उपधारा में उल्लिखित किसी व्यक्ति को छुट्टी प्रदान करने अथवा उसे सेवा में बहाल करने का कर्तव्य उस नियोक्ता का होगा जिसके सामने धारा 25 के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति वस्तुतः बुलाया जाता है, उसकी सेवा को ऐसी परिस्थितियों में समाप्त करता है जिनसे उस उपधारा में अधिरोपित कर्तव्य से बचने की उसकी मंशा का संकेत मिलता है और यदि उस व्यक्ति के संबंध में धारा 25 के अंतर्गत आदेश जारी होने के पश्चात् सेवा समाप्ति होती है तो ऐसी मंशा तब तक मानी जाएगी जब तक इसके विपरीत सिद्ध नहीं हो जाता।

28. सेवा के लिए बुलाए गए व्यक्तियों के कतिपय अधिकारों का परिरक्षणः—

धारा 25 के अन्तर्गत बुलाए गए किसी व्यक्ति द्वारा छोड़े जाने वाले रोजगार के संबंध में किसी भविष्य निधि अथवा अधिवर्षिता निधि अथवा कर्मचारी के हितलाभ के लिए किसी अन्य योजना के अन्तर्गत उसके अधिकार उस अवधि में जारी रहेंगे जिस अवधि के लिए उसे बुलाया गया है और यदि वह बहाल किया जाता है तो इस अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत ऐसी निधि अथवा योजना के संबंध में उसके यथानिर्धारित अधिकार बने रहेंगे।

29. वेतन और भत्तेः– (1) वायु सेना रिजर्व अथवा सहायक वायु सेना का प्रत्येक सदस्य प्रशिक्षण अथवा सक्रिय सेवा की अवधि के दौरान वह वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा जो वायु सेना की किसी शाखा अथवा ट्रेड में समान रैंक के किसी अफसर अथवा वायुसैनिक, जो भी स्थिति हो, को देय है।

(2) यदि कोई व्यक्ति धारा 25 के अन्तर्गत बुलाए जाने से तुरन्त पूर्व किसी रोजगार में था तो प्रशिक्षण अवधि के दौरान, जो वेतन और भत्ते वह अपने नियोक्ता से प्राप्त करता यदि वह प्रशिक्षण के लिए न बुलाया गया होता और जो वेतन और भत्ते वह प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त करता है, इनके दोनों के बीच के अंतर, यदि कोई है तो, के भुगतान के लिए उसका नियोक्ता जिम्मेदार होगा।

(3) यदि नियोक्ता उपधारा (2) मेंप्रदत्त अंतर के भुगतान से इंकार करता है अथवा उसमें विफल रहता है तो सदस्य द्वारा आवेदन दिए जाने पर विनिर्दिष्ट प्राधिकारी उस नियोक्ता से यह अंतर यथा निर्धारित ढंग से वसूल कर सकता है।

वा से आ 96

30. शास्तियां (जुर्माना)– (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 11 की उपधारा (1) की अपेक्षाओं अथवा उस धारा की उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी किए गए आदेश अथवा धारा 14 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से इंकार अथवा वैध कारण के बिना (जिसको सिद्ध करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी) उसकी अनदेखी करता है तो उसको जुर्माने से दंडित किया जा सकता है जिसकी राशि पांच सौ रूपये तक हो सकती है।

(2) यदि कोई व्यक्ति धारा 13 या धारा 16 के अन्तर्गत जारी किसी नोटिस का अनुपालन करने में जानबूझकर असफल रहता है तो उसे कारावास की सजा दी जाएगी जिसे छः महीने तक बढ़ाया जा सकता है अथवा जुर्माना किया जा सकता है जिसे एक हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों किए जा सकते हैं।

31. नोटिस का दिया जाना – इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ किसी भी व्यक्ति को दिया जाने वाला नोटिस अथवा आदेश उसके अंतिम ज्ञात पते पर डाक से भेजा जाए अथवा अन्य यथानिर्धारित ढंग से दिया जाए।

32. लोक सेवक बनने के लिए सक्षम प्राधिकारी– इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रत्येक सक्षम प्राधिकारी और जहां सक्षम प्राधिकारी दो अथवा

अधिक वायु सेना अफसरों की कोई समिति है, वहां समिति का प्रत्येक सदस्य, भारतीय दंड संहिता (1860 का अधिनियम XLV) की धारा 21 की अर्थ सीमा में एक लोक सेवक होगा।

33. केन्द्रीय सरकार की छूट प्रदान करने की शक्तियां – केन्द्रीय सरकार किसी विशेष कारण से और यथानिर्धारित परिस्थितियों के अधीन आदेश द्वारा किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम अथवा इसके उपबंध विशेष के अंतर्गत किसी भी बाध्यता अथवा दायित्व से छूट प्रदान कर सकती है।

34. नियम बनाने की शक्तियां – (1) केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के नियम बना सकती है ।

(2) विशिष्ट रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुए, ऐसे नियम निम्नलिखित किसी अथवा सभी विषयों के लिए हो सकते हैं:–

वा से आ 96

(क) किसी भी वायु सेना रिजर्व का गठन और उसकी नफरी;

(ख) वे परिस्थितियां जिनमें और वे शर्ते जिनके अधीन किसी अफसर अथवा वायुसैनिक का, धारा 5 के अंतर्गत वायु सेना रिजर्व में स्थानान्तरण अथवा उसकी नियुक्ति की जा सकती है;

(ग) वह आयु जिसके बाद व्यक्ति नियमित वायु सेना रिजर्व में सेवा नहीं कर सकेगा;

(घ) वह प्रपत्र और वह विधि जिससे धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा आवश्यक विवरण दिए जाएंगे;

(च) वह प्रपत्र और विधि जिससे धारा 15 के अनुसरण में रजिस्टर रखे जाएंगे, उनमें ब्यौरों की प्रविष्टि होगी, और समय समय पर ऐसे ब्यौरों में सुधार और परिशोधन किया जाएगा;

(छ) इस अधिनियम के अन्तर्गत जांच अथवा चिकित्सीय परीक्षण हेतु बुलाए जाने वाले व्यक्ति को देय वेतन अथवा भत्ते;

(ज) वे नियम और शर्ते जिनके अन्तर्गत कोई व्यक्ति सहायक वायु सेना के सदस्य के रूप में भर्ती हो सकता है;

(झ) वह प्राधिकार जिसके द्वारा और वे शर्ते, जिनके अधीन, सहायक वायु सेना में भर्ती किए गए अफसर अथवा व्यक्ति की सेवाएं समाप्त की जा सकती है;

(ट) सलाहकार समिति के गठन और ड्यूटियों,शक्तियों एवं प्रक्रियाओं को धारा 24 के अंतर्गत वैधानिक रूप दिया जाएगा;

(ठ) किसी भी वायु सेना रिजर्व और सहायक वायु सेना के सदस्यों के प्रशिक्षण की अवधि और विधि;

(ड) वह विधि जिसके अनुसार और वे शर्ते जिनके अधीन रिजर्व वायु सेना के किसी सदस्य का रैंक निर्धारित किया जा सकेगा;

वा से आ 96

(ढ) धारा 27 के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी की नियुक्ति और वह विधि जिसके अनुसार ऐसा प्राधिकारी इस अधिनियम के अन्तर्गत जांच कर सके;

(त) वह प्राधिकारी जिसको धारा 29 की उपधारा (3) के अन्तर्गत आवेदन किया जा सकता है और वह विधि जिसके अनुसार उस उपधारा के अन्तर्गत वेतन व भत्तों का अंतर वसूल किया जा सके,

(थ) वह विधि जिसके अनुसार इस अधिनियम के अन्तर्गत जारी किया गया नोटिस अथवा आदेश तामील किया जा सके।

(द) वे शर्ते जिनके अधीन किसी व्यक्ति को इस अधिनियम अथवा इसके उपबंध विशेष के अन्तर्गत किसी बाध्यता अथवा दायित्व से छूट दी जा सकती है,

(ध) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किया जाएगा अथवा किया जा सकता है।

(3) इस अनुभाग के अन्तर्गत बनाया गया कोई भी नियम यह उपबंध कर सकता है कि उसके उल्लंघन पर जुर्माने का दंड किया जाएगा जिसकी राशि पचास रूपए तक हो सकती है।

(4) इस धारा के अन्तर्गत बनाए गए सभी नियम बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र, कम से कम सात दिन के लिए संसद के सामने रखे जाएंगे और जिस सत्र में वे संसद के सामने रखे जाते हैं उसी सत्र में अथवा उससे तत्काल बाद के सत्र में संसद द्वारा किए जाने वाले संशोधनों के लिए रखे जाएंगे।

35. 1950 के अधिनियम XIV की धारा 2,4 और 31 में संशोधन – वायु सेना अधिनियम 1950 –

(i) धारा 2 में, खंड (ग) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित होगा,

वा से आ 96

(ग) रिजर्व और सहायक वायु सेना अधिनियम, 1952 की धारा 26 में उल्लिखित परिस्थितियों में नियमित वायु सेना रिजर्व अथवा हवाई रक्षा रिजर्व अथवा सहायक वायु सेना से संबंधित व्यक्ति"

(ii) धारा 4 में "भारतीय वायु सेना स्वैच्छिक रिजर्व" शब्दों के स्थान पर "कोई वायु सेना रिजर्व अथवा सहायक वायु सेना" शब्द प्रतिस्थापित होंगे।

36. 1939 के अधिनियम XXXVI को निरस्त – भारतीय वायु सेना स्वैच्छिक रिजर्व (अनुशासन) अधिनियम, 1939 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

---

परिशिष्ट 'बी'
(वा से आ 96/78 देखें)

## रिजर्व और सहायक वायु सेनाएं अधिनियम नियमावली 1953

### अध्याय 1

### प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक व विस्तार – ये नियम रिजर्व और सहायक वायु सेनाएं अधिनियम नियमावली, 1953 कहलाएंगे ।

2. परिभाषाएं – इस नियमावली में, जब तक संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक न हो –

(क) "अधिनियम" का अर्थ है रिजर्व और सहायक वायु सेनाएं अधिनियम,1952;

(ख) प्रपत्र का अर्थ है अनुसूची I में निर्धारित प्रपत्र,

(ग) संघ राज्य–क्षेत्र के संबंध में "राज्य सरकार" का अर्थ है संविधान की धारा 239 के अंतर्गत उस संघ राज्य–क्षेत्र में नियुक्त प्रशासक;

वा से आ 96

(घ) "सदस्य" का अर्थ है नियमित वायु सेना रिजर्व हवाई रक्षा रिजर्व अथवा सहायक वायु सेना का, जो भी स्थिति हो, अफसर अथवा वायुसैनिक;

(च) "रैंक" जब तक स्पष्ट रूप से अन्यथा न कहा गया हो, तब तक अर्थ होगा मूल रैंक;

(छ) ''खंड'' का अर्थ है इस अधिनियम का कोई खंड;

## अध्याय II
## नियमित वायु सेना रिजर्व

3. हवाई रक्षा रिजर्व और सहायक वायु सेना से नियमित वायुसेना रिजर्व में स्थानान्तरण –हवाई रक्षा रिजर्व या सहायक वायुसेना के किसी सदस्य को निम्नलिखित शर्तो के अधीन फार्म 1 में सक्षम प्राधिकारी के विशेष आदेश द्वारा नियमित वायुसेना रिजर्व में नियुक्त किया जा सकता है यथा :–

(क) उसने प्रशिक्षण की अवधि पूरी कर ली हो ।
(ख) उसने स्वास्थय तथा चयन परीक्षाएं पास की हैं, परन्तु यह कि किसी मामले विशेष में सक्षम प्राधिकारी उपर्युक्त में से किसी शर्तों को समाप्त या उसमें छूट दे सकता है जिसके लिए कारण लिखित में दर्ज किए जाएं।

4. सेवा की समाप्ति :– नियमित वायु सेना रिजर्व का प्रत्येक सदस्य अधिनियम की धारा 7 में निर्धारित किए अनुसार अपनी सेवा की अवधि पूरी करने या नीचे निर्धारित आयु प्राप्त करने पर, जो भी पहले हो, उस रिजर्व का

सदस्य नहीं रहेगा :–

| रैंक | सामान्य ड्यूटी अफसर | ग्राउंड ड्यूटी अफसर | वायुसैनिक |
|---|---|---|---|
| विंग कमांडर और नीचे | 53 | 57–60 शिक्षा ब्रांच के लिए | |
| ग्रुप कैप्टन | 55 | 60 | ––––– |
| एयर कमोडोर | 57 | 60 | ––––– |
| एयर वाइस मार्शल | 60 | 60 | ––––– |
| मास्टर वारंट अफसर और वायु सैनिक | –– | –– | 55 |

5. <u>एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में स्थानान्तरण</u> – अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) और (2) के अधीन नियमित वायुसेना रिजर्व में स्थानान्तरित या नियुक्त अफसरों व वायुसैनिकों को उनकी शारीरिक स्वस्थता, व्यावसायिक अभिरूचि और उपयुक्तता के अनुसार एक श्रेणी से दूसरी में स्थानान्तरित किया जा सकता है।

6. <u>रिजर्व में स्थानान्तरण पर वायुसैनिक का रैंक</u> – अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नियमित वायुसेना रिजर्व में स्थानान्तरित वायुसैनिक उसी रैंक व वर्गीकरण में रहेगा जिसमें वह ऐसे स्थानान्तरण के एकदम पहले था।

## <u>अध्याय – III</u>

## हवाई रक्षा रिजर्व

7. <u>अपात्रता</u> : निम्नलिखित व्यक्ति हवाई रक्षा रिजर्व में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे :–

(क) ऐसे व्यक्ति जो नियमित वायुसेना में सेवा से उत्पन्न निशक्तता के संबंध में पेंशन पा रहे हैं, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी लिखित में दर्ज किए गए कारणों के लिए यह निर्णय न करें कि ऐसी निशक्तता के होते हुए भी संबंधित व्यक्ति ऐसी नियुक्ति के योग्य है,

(ख) सशस्त्र सेनाओं के वे सदस्य जिनकी सेवाएं कदाचार के कारण समाप्त कर दी है।

(ग) वे व्यक्ति जिन्हें नैतिक भ्रष्टता के किसी अपराध में दंडित किया जाता है।

(घ) वे व्यक्ति जिन्हें नैतिक भ्रष्टता में लिप्त कदाचार के लिए केन्द्र या राज्य सरकार की सेवा से बरखास्त किया गया हो।

8. अपेक्षित विवरण – (क) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 11 की उपधारा (1) में उल्लिखित योग्यताओं में से कोई योग्यता रखता हो, फार्म– II में ऐसी योग्यताओं के बारे में विवरण अपने नियोक्ता, यदि कोई हो, के माध्यम से उस अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा जो केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा II की उपधारा (2) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने के लिए जारी किए गए आदेश के अपेक्षित प्रत्येक व्यक्ति उस समय के अंदर फार्म II में ऐसा विवरण प्रस्तुत करेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए।

8क. भर्ती के लिए योग्य पाए जाने वाले व्यक्तियों का पंजीकरण ।

(क) आवेदक द्वारा नियम 8 के अधीन या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निदेशों के अनुसरण में प्रस्तुत किए गए विवरणों के साथ उसका नाम और पता उपनियम (ख) में दिए प्रारूप के अनुसार बनाए गए रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

(ख) उपधारा (क) में उल्लिखित रजिस्टर को "हवाई रक्षा रिजर्व रजिस्टर" कहा जाएगा और इसका रख रखाव फार्म VI में होगा। यह रजिस्टर सक्षम प्राधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत किए गए किसीअन्य अधिकारी की अभिरक्षा में रखा जाएगा।

(8ख). पंजीकृत करने की बाध्यता : निम्नलिखित व्यक्ति जिन्हें किसी भी समय किसी हवाई अड्डा के संबंध में या किसी वायुयान के नियंत्रण और संचालन के संबंध में नीचे विनिर्दिष्ट में से किसी भी हैसियत में नियुक्त हैं या नियुक्त किए गए थे, कार्य करने के लिए नियुक्त है या नियुक्त किया गया था, धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (झ) के अधीन अपना नाम पंजीकृत करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(i) वे सभी तकनीशियन जो/जिन्होंने वायुयान या उससे संबंधित उपस्कर में दो साल से अधिक अवधि तक काम कर रहे हैं/किया है।

(ii) वे सभी तकनीशियन जो/जिन्होंने वायुयान या वायुवाहित आयुध पर दो साल से अधिक अवधि तक कार्य कर रहे हैं/जिन्होंने कार्य किया है।

(iii) वे सभी व्यक्ति जो/जिन्होंने वायु यातायात नियंत्रण और आसमान में और जमीन पर वायुयान की सुरक्षा और नियंत्रण के लिए अन्य संबद्ध सेवाओं में कार्य कर रहे हैं/किसी समय कार्य किया है।

(iv) वे सभी व्यक्ति जो/जिन्हें वायुयान संक्रियाओं की योजना बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने हेतु मौसम विज्ञान सेवाएं प्रदान करने या आसमान में और जमीन पर वायुयान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियोजित हैं या किसी समय नियोजित किया गया है।

(v) वे सभी व्यक्ति जो एवियेशन स्टोर के परिवहन सहित उनकी व्यवस्था करने, हिफाजत और वितरण कार्य में लगे हुए है या किसी समय जिन्होंने यह कार्य किया है।

9. विवरणों का सत्यापनः– जहां किसी व्यक्ति के नियम 8 के अनुसार अपनी अर्हता के विवरण प्रस्तुत किए हैं तो सक्षम प्राधिकारी या इस प्रयोजन के लिए उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी सटीकता का सत्यापन किया जाएगा। उपर्युक्त प्राधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति हवाई रक्षा रिजर्व में उस आवेदक की उपयुक्तता के संबंध में आगे और यथा आवश्यक जांच कर सकता है।

10. <u>चयन परीक्षाएं</u> :– जहां नियम 8 के अधीन प्रस्तुत किसी व्यक्ति के संबंध में विवरण सही पाए जाते हैं और वह अन्यथा हवाई रक्षा रिजर्व में नियुक्ति के लिए उचित पाया जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को ऐसे चिकित्सा और अन्य प्रकार के टेस्ट (व्यक्ति के जोखिम पर फ्लाइंग टेस्ट सहित) करवाने होंगे जिसे सक्षम प्राधिकारी उचित मानते हैं।

11. <u>एक श्रेणी से दूसरी में स्थानान्तरण</u> :– हवाई रक्षा रिजर्व में नियुक्त अफसर और वायुसैनिक उनकी शारीरिक स्वस्थता व्यावसायिक अभिरूचि और उपयुक्तता के आधार पर अधिनियम की धारा 10 में उल्लिखित एक श्रेणी से दूसरी में स्थानान्तरित हो सकते हैं।

12. <u>अफसरों का रैंक</u> :– एक व्यक्ति वायु रक्षा रिजर्व में अफसर के रूप में चयनित व्यक्ति को पायलट अफसर के रैंक में नियुक्त किया जाएगा। बशर्ते कि–

(क) किसी व्यक्ति को, जो सक्षम प्राधिकारी की राय में विशेष अर्हताएं और अनुभव रखता है, जो उसे उच्चतर रैंक के लिए हकदार बनाते हैं, उच्च रैंक प्रदान किया जा सकता है।

(ख) उस व्यक्ति को जो सशस्त्र सेना में अफसर या, उसी मूल रैंक में नियुक्त किया जा सकता है जो वह सशस्त्र सेना में अपनी सेवा के दौरान धारण किए हुए था, यदि उसे खंड (क) के अधीन उच्चतर रैंक न दिया गया हो।

13. <u>सत्यापन</u> – हरेक व्यक्ति को भर्ती के समय उसके कमांडिंग अफसर द्वारा सत्यापित किया जाएगा। यह सत्यापन फार्म V में विनिदेशित शपथ पत्र या हलफनामे पर होगा।

14. <u>वायुसैनिक का रैंक</u> – जिस व्यक्ति का चयन हवाई रक्षा रिजर्व में वायुसैनिक के रूप में होता है, उसे एयरक्राफ्टसमेन द्वितीय श्रेणी पद में शामिल किया जाएगा। जब तक उसकी योग्यता, अर्हता और अनुभव के आधार पर सक्षम प्राधिकारी उसे उच्चतर रैंक के लिए उचित नहीं मान लेता है।



<u>अध्याय **IV**</u>

## सहायक वायु सेना

15. गठन – केन्द्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सहायक वायुसेना की किसी यूनिट का स्थान, क्षेत्र और अन्य विवरण अधिसूचित कर सकती है।

16. सहायक वायुसेना की स्क्वाड्रनों और यूनिटों का गठन – सहायक वायुसेना की किसी स्क्वाड्रन या यूनिट का गठन अकेले या नियमित वायुसेना के किसी अन्य अंग के साथ संयुक्त किया जा सकता है।

17. स्थायी स्टाफ – सहायक वायुसेना की स्क्वाड्रनों और यूनिटों के लिए स्थायी स्टाफ की नियुक्ति नियमित वायुसेना और नियमित वायुसेना रिजर्व और सहायक वायुसेना के सदस्यों में से की जाए। सहायक वायुसेना के सदस्यों की नियुक्ति का कार्यकाल 3 साल होगा जो वायुसेना मुख्यालय द्वारा अन्यथा आदेश न दिए जाने पर 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है।

18 अपात्रता – निम्नलिखित व्यक्ति सहायक वायुसेना में भर्ती या नियुक्ति के योग्य नहीं होंगे, यथा :–

क(i) ऐसे व्यक्ति जो नियमित वायुसेना में सेवा से उत्पन्न किसी निशक्तता के संबंध में पेंशन पा रहे हैं। जब तक की सक्षम प्राधिकारी लिखित में दर्ज किए गए कारणों के लिए यह निर्णय न करे कि ऐसी निशक्तता के होते हुए भी संबंधित व्यक्ति नियुक्ति के लिए योग्य हैं।

(ii) सशस्त्र सेना के वे सदस्य जिनकी सेवाएं कदाचार के कारण समाप्त कर दी गई हैं।

(ख) वे व्यक्ति जिन्हें नैतिक भ्रष्टता में शामिल अपराधों के लिए दंडित किया गया है।

(ग) वे व्यक्ति जिन्हें नैतिक भ्रष्टता में शामिल कदाचार के लिए केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की सेवा से बरखास्त कर दिया गया है।

19. आयु सीमा : कोई व्यक्ति सहायक वायुसेना की सदस्यता के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह निम्नलिखित आयु सीमा के अंदर नहीं आता :–

---

न्यूनतमअधिकतम

---

| | | | |
|---|---|---|---|
| (क) | सामान्य ड्यूटी अफसर | 18 | 28 |
| (ख) | ग्राउंड ड्यूटी अफसर | 18 | 45 |
| (ग) | वायुसैनिक | 18 | 45 |

परन्तु यह कि किसी विशेष मामले में किसी व्यक्ति की योग्यता और अनुभव के आधार पर सक्षम प्राधिकारी उसके लिए उपर्युक्त आयुसीमा में छूट दे सकता है।

20. कमीशन पाने के लिए आवेदन : जो व्यक्ति कमीशन प्राप्त पद पर नियुक्ति के लिए इच्छुक है वह नियम 23 में उल्लिखित किसी अफसर को फार्म III में आवेदन करेगा।

21. चयन और चिकित्सा बोर्ड :– सहायक वायुसेना में कमीशन प्राप्त रैंकों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों को तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि जिस श्रेणी के लिए आवेदन किया है उस श्रेणी के लिए शारीरिक रूप से योग्य न पाया जाए। चयन या चिकित्सा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होने और समय समय पर निर्धारित ऐसी परीक्षाओं में अपने जोखिम पर उपस्थित होने के लिए कहा जा सकता है।

22. अफसरों का रैंक – सहायक वायुसेना में अफसर के रूप में चयनित किसी व्यक्ति को पायलट अफसर के रैंक पर नियुक्त किया जाएगा बशर्ते किः–

(क) किसी व्यक्ति को, जो सक्षम प्राधिकारी की राय में विशेष अर्हताएं और अनुभव रखता है जो उसे उच्चतर रैंक के लिए हकदार बनाते हैं, उसे ऐसा उच्च रैंक प्रदान किया जा सकता है।

वा से आ 96

(ख) उस व्यक्ति को जो सशस्त्र सेना में एक अफसर था, उसी मूल रैंक में नियुक्त किया जा सकता है जो वह सशस्त्र सेना में अपनी सेवा के दौरान धारण किए हुए था जब तक उसे खंड (क) के अधीन उच्चतर रैंक न दिया गया हो।

23. <u>भर्ती के आवेदन</u> – जो व्यक्ति सहायक वायुसेना में भर्ती के लिए इच्छुक है, वह उस स्क्वाड्रन या यूनिट, जिसमें वह सेवा करने के लिए इच्छुक है, के कमांडिंग अफसर को या उस अफसर को जो वायुसेना अधिनियम 1950 के अधीन व्यक्तियों की भर्ती के प्रयोजनार्थ एक भर्ती अफसर है, या ऐसे किसी अन्य अफसर को जो इस कार्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त होगा, को आवेदन करेगा।

24. <u>ब्यौरों का सत्यापन</u> :– नियम 23 में उल्लिखित अफसर द्वारा सभी आवेदनों की संवीक्षा की जाएगी। वह अफसर सहायक वायुसेना में अफसर या वायुसैनिक के रूप में सेवा करने के लिए आवेदनकर्ता की उपयुक्तता के संबंध में ऐसी अन्य पूछताछ भी कर सकता है जिसे वह आवश्यक समझे।

25. <u>चिकित्सा व अन्य जांच</u> – (क) नियम 23 में उल्लिखित अफसर जब इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि आवेदन विधि सम्मत है और आवेदक सहायक वायुसेना में सेवा की सभी शर्तो को पूरा कर सकता है और वह
प्रार्थी स्क्वाड्रन या यूनिट, जिसमें वह भर्ती होना चाहता है, में भर्ती के लिए सर्वथा उपयुक्त है और उस स्क्वाड्रन या यूनिट में रिक्ति है तो वह प्रार्थी को नोटिस भेजकर उसमें बताए समय और स्थान पर चिकित्सा और अन्य जांच के लिए प्रस्तुत होने के लिए कहेगा। आवेदक को सामान्यतः अपने निवास या व्यवसाय स्थल के निकटतम किसी स्थान पर प्रस्तुत होने का निदेश दिया जाएगा।

वा से आ 96

(ख) सहायक वायुसेना में भर्ती के उम्मीदवार को उस वर्ग जिसके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए

26. <u>अस्वीकृति</u> :– नियम 23 में उल्लिखित अफसर सत्यापन के बाद यदि इस बात से संतुष्ट है कि आवेदन विधि सम्मत नहीं है अथवा आवेदन शारीरिक रूप से स्वस्थ

नहीं है अथवा वह सहायक वायुसेना के लिए अन्यथा उपयुक्त नहीं है तो वह आवेदन निरस्त करेगा और तदनुसार आवेदक को सूचित करेगा।

27. भर्ती – (क) यदि आवेदन भर्ती के लिए स्वीकार कर लिया जाता है तो आवेदक को फार्म IV के भाग II में निहित घोषणा पर हस्ताक्षर करना होगा।

(ख) नियम 23 में उल्लिखित अफसर अगर इस बात से संतुष्ट है कि आवेदक उससे पूछे गये प्रश्न को समझता है और सेवा शर्तो को उसकी सहमति प्राप्त हो गई है तो वह इस निमित्त फार्म के भाग III में एक प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करेगा और जिसके बाद इसमें उल्लिखित तारीख से आवेदक को भर्ती हुआ मान लिया जाएगा।

28. स्क्वाड्रन या यूनिट में एक ग्रुप ट्रेड में उपस्थित होना – भर्ती हुआ प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के सहायक वायुसेना के किसी स्क्वाड्रन या यूनिट के किसी ट्रेड में उपस्थित होगा और नियुक्ति के आदेश की प्राप्ति पर आदेश में विनिर्दिष्ट स्क्वाड्रन या यूनिट में कार्यभार ग्रहण करने के उद्देश्य से यथा विनिर्दिष्ट समय तथा स्थान पर रिपोर्ट करेगा।

वा से आ 96

29. अनुप्रमाणन :– भर्ती हुए प्रत्येक व्यक्ति का अनुप्रमाणन उसका कमाडिंग अफसर करेगा। अनुप्रमाणन फार्म V में विनिर्दिष्ट शपथ या प्रतिज्ञान पर किया जाएगा।

30. वायुसैनिक का रैंकः– सहायक वायुसेना में वायुसैनिक के रूप में चयनित व्यक्ति की भर्ती एयरक्राफ्टसमैन द्वितीय श्रेणी के रूप में होगी जब तक कि योग्यता, अर्हता और अनुभव के आधार पर उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा उच्च रैंक के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता।

31. <u>सेवा की समाप्ति</u> :– सहायक वायुसेना के किसी भी सदस्य की सेवा केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके सेवाकाल की अवधि पूर्ण होने के पहले किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। परन्तु एक वायुसैनिक के मामले में उसकी सेवा किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा भी समाप्त की जा सकती है जिसे केन्द्रीय सरकार समय समय पर विनिर्दिष्ट करेगी।

32. <u>एक वर्ग से दूसरे वर्ग में स्थानान्तरण</u> :– सहायक वायुसेना में नियुक्त अफसर व वायुसैनिक को उसकी शारीरिक स्वस्थता, व्यावसायिक अभिरूचि और उपयुक्तता के अनुसार अधिनियम की धारा 19 में वर्णित एक वर्ग से दूसरे वर्ग में स्थानान्तरित किया जा सकता है।

33. <u>सेवानिवृत्ति</u> :– सहायक वायुसेना के किसी सदस्य की सेवा उस आयु पर समाप्त हो जाएगी जिसे समय–समय पर केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे।

34. <u>नियुक्ति और संलग्नता</u> :– अधिनियम के अनुच्छेद 25 के अनुसार –

(क) सहायक वायुसेना के किसी भी सदस्य को उसकी नियुक्ति अथवा भर्ती के समय उसकी मूल तैनाती से इतर किसी अन्य स्क्वाड्रन या यूनिट में उसकी सहमति के बिना तैनात या संलग्न नहीं किया जा सकता।

वा से आ 96

(ख) सहायक वायुसेना के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना नियमित वायुसेना के किसी स्क्वाड्रन या यूनिट में तैनात या संलग्न नहीं किया जा सकता,

बशर्ते कि जब तक स्क्वाड्रन या यूनिट का कोई ऐसा सदस्य उस क्षेत्र में जहां स्क्वाड्रन या यूनिट स्थित है, रहना छोड़ देता है, सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी के रूप में अन्य प्राधिकारी

उस सदस्य को उस क्षेत्र में, जहां वह अब रहता है, स्थित किसी स्क्वाड्रन या यूनिट में स्थानान्तरित कर सकता है।

35. सहायक वायुसेना का कोई सदस्य जो किसी अन्य स्क्वाड्रन या यूनिट में तैनाती के लिए इच्छुक है, इस संबंध में लिखित में आवेदन अपने कमांडिंग अफसर को दे सकता है। वह अपने आवेदन में, उस स्क्वाड्रन या यूनिट जिसमें तैनाती या संलग्न होने का वह इच्छुक है, अपने इच्छुक होने का कारण भी बताएगा। कमांडिंग अफसर इस आवेदन को सक्षम प्राधिकारी को ऐसी कार्रवाई हेतु प्रेषित करेगा, जिसे वह उचित समझता है।

## अध्याय IV– क

## सलाहकार समितियां

35. क सलाहकार समिति का गठन और कार्यविधि

(1) केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निम्न सलाहकार समितियों का गठन करेगी।

(क) केन्द्रीय सलाहकार समिति – संपूर्ण भारत के लिए

वा से आ 96

(ख) राज्य सलाहकार समिति – प्रत्येक राज्य के लिए, और

(ग) यूनिट सलाहकार समिति सहायक वायुसेना की प्रत्येक यूनिट के लिए।

(2) केन्द्रीय सलाहकार समिति में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त तेईस सदस्य होंगे जिनमें एक रक्षा मंत्री होंगे जो इस समिति के अध्यक्ष होंगे

और दूसरा सदस्य वायुसेना का एक अफसर होगा जो समिति का सचिव होगा।

परन्तु वायुसेनाध्यक्ष हमेशा इस समिति के एक सदस्य होंगे।

(3) प्रत्येक राज्य की राज्य सलाहकार समिति में नौ सदस्य होंगे और प्रत्येक केन्द्रशासित प्रदेश की समिति में पांच सदस्य होंगे जिन्हें केन्द्रीय सरकार नियुक्त करेगी। इन सदस्यों में एक वायुसेना का अफसर होगा जो समिति का सचिव होगा। अन्य सदस्यों में से किसी एक सदस्य को केन्द्रीय सरकार समिति के अध्यक्ष के तौर पर नामित करेगी। परन्तु यदि किसी राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश की मंत्रीपरिषद का कोई मंत्री राज्य सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त होता है तो इस प्रकार नियुक्त किए जानेपर वह उस समिति के अध्यक्ष होंगे।

(4) प्रत्येक यूनिट सलाहकार समिति में निम्न सदस्य होंगे :–

(क) उस जिले के जिलाधीश, जिसमें यूनिट स्थापित है, इसके अध्यक्ष होंगे ।

वा से आ 96

(ख) जिस जिले में यूनिट का गठन किया गया है उस जिले के स्थानीय प्राधिकरण या प्राधिकरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

(ग) राज्य सरकार तीन गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करेगी जिनमें से एक सदस्य राज्य विधान सभा का सदस्य होगा।

(घ) जिला सैनिक, नौसैनिक और वायुसैनिक बोर्ड का सचिव और

(च) संबंधित सहायक वायुसेना का कमांडिंग अफसर इस समिति का सचिव होगा।

(5) प्रत्येक सलाहकार समिति के पास समिति के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित तरीके और प्रयोजन से संबद्ध होने की शक्ति होगी तथा वह किसी भी व्यक्ति, जिसके सहयोग और सलाह से वह अधिनियम के किसी उपबंध या नियमों का पालन करना चाहेगी, के साथ सहयोग कर सकेगी और इस तरह किसी भी प्रयोजनार्थ सहयोग करने वाला व्यक्ति उस प्रयोजन के लिए होने वाली समिति की चर्चाओं में भाग लेने का अधिकारी होगा लेकिन उसे समिति की बैठकों में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

(6) प्रत्येक सलाहकार समिति एक या अधिक उप–समिति नियुक्त कर सकती है। उपसमिति में सदस्य उतनी संख्या में हो सकते हैं जितने कि सलाहकार समिति अपने कुशल कार्य सम्पादन के लिए उचित समझती है। इस प्रकार नियुक्त उप समितियों को वह सशर्त तथा विनियंत्रित अथवा शर्त तथा नियंत्रण विहीन शक्तियों तथा अधिकार, जैसा कि वह उचित समझे, सौंप सकती है।

वा से आ 96

(7) प्रत्येक सलाहकार समिति सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा अधिनियिम तथा नियमों के तहत प्रदत्त तथा अधिरोपित शक्तियों और कर्तव्यों में से उन शक्तियों और कर्तव्यों को, जिन्हें वह कार्यो के कुशल निष्पादन हेतु आवश्यक समझे, आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तो व सीमाओं के तहत समिति के अध्यक्ष या किसी अन्य अफसर को प्रत्यायोजित कर सकती है।

(8) इन नियमों के उपबंधों के अधीन प्रत्येक सलाहकार समिति अपनी कार्यवाही, जैसे उचित समझे, विनियमित कर सकती है।

(9) किसी सलाहकार समिति या उसकी उप–समितियों की बैठक में सभी प्रश्नों के संबंध में निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से लिया जाएगा। मत

संख्या समान होने पर अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्णायक मतदान किया जाएगा।

(10) (क) किसी केन्द्रीय सलाहकार समिति या उसकी उपसमिति की गणपूर्ति (कोरम) उसकी कुल सदस्य संख्या का एक चौथाई होगी। यह गणपूर्ति (कोरम) के मामले में न्यूनतम दो संख्या की होगी।

(ख) किसी सदस्य की राज्य सलाहकार समिति या उसकी उप–समिति, जिसमें पांच से अधिक सदस्य होते हैं, के लिए गणपूर्ति (कोरम) तीन होगी और राज्य सलाहकार समिति या केन्द्र शासित प्रदेश की समिति या एक यूनिट सलाहकार समिति या उसकी उप समिति, जिसमें पांच या उससे कम सदस्य होते हैं, गणपूर्ति (कोरम) संख्या दो होंगी।

वा से आ 96

(ग) खंड (क) और (ग) में उल्लिखित गणपूर्ति (कोरम) के शर्तानुसार प्रत्येक समिति या उपसमिति सदस्यों की रिक्ति होते हुए भी, नियमों के अनुसार कार्य कर सकती है।

(11) प्रत्येक सलाहकार समिति या उसकी उप–समिति की कार्यवाही का कार्यवृत्त रखा जाएगा।

(12) किसी भी सलाहकार समिति का कोई सदस्य सदस्यता से अपना त्यागपत्र उस सलाहकार समिति के मार्फत, जिसका वह सदस्य है, केन्द्रीय सरकार को लिखित नोटिस भेज कर दे सकता है। लेकिन त्यागपत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक केन्द्रीय सरकार इसको स्वीकार करके सरकारी राजपत्र में अधिसूचित नहीं कराएगी।

(13) एक सलाहकार समिति में मृत्यु, इस्तीफा या किसी अन्य कारण से किसी स्थान की रिक्ति होती है तो इस प्रकार उत्पन्न रिक्ति को केन्द्रीय सरकार किसी के नामांकन द्वारा भरेगी और ऐसी रिक्ति की पूर्ति हेतु नामित किया गया व्यक्ति इस पद पर तब तक रहेगा जब तक वह सदस्य जिसके स्थान पर उसका नामांकन हुआ है, उस पद पर नहीं आ जाता। किन्तु यह सदस्य पुनः नामांकन का पात्र होगा।

35.(ख) सलाहकार समितियों की शक्तियां और कर्तव्य :– केन्द्रीय सलाहकार समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह धारा 24 की उपधारा (2) में वर्णित मामलों के अलावा सहायक वायुसेना की भर्ती, प्रशिक्षण, अनुशासन, विकास और विस्तार से संबंधित सभी प्रश्नों और नीतिगत मामलों और इसके कार्यो का राज्य सलाहकार समितियों के साथ समन्वय एवं सहायक वायुसेना से जुड़े सभी ऐसे मामलों,जो कि इसे केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपे गये हो, पर केन्द्रीय सरकार की सहायता करें और परामर्श दें।

(2) राज्य सलाहकार समिति के कार्य निम्नलिखित होंगे :–

(i) सहायक वायुसेना में उपयुक्त व्यक्तियों की भर्ती को प्रोत्साहन देना ।

(ii) भर्ती, प्रशिक्षण, विकास तथा अनुशासन संबंधी स्थानीय समस्याओं और राज्य में सहायक वायु सेना के स्क्वाड्रनों या यूनिटों के विस्तार संबंधी मामलों का अध्ययन करना और ऐसे अध्ययन के निष्कर्ष केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय सलाहकार समिति को देना।

(iii) राज्य में गठित सलाहकार समिति की विभिन्न यूनिटों के कार्यो का समन्वय करना और

(iv) केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सलाहकार समिति, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा निर्देशित किसी अन्य विषय पर सलाह देना।

(3) एक यूनिट सलाहकार समिति, सहायक वायुसेना के स्क्वाड्रन या यूनिट, जिसके लिए उसका गठन किया गया है, के कमांडिंग अफसर को निम्न में किसी एक या अधिक विषयों पर सलाह और सहायता देगी :–

(i) सहायक वायुसेना की यूनिट या स्क्वाड्रन में भर्ती, प्रशिक्षण, अनुशासन और पदोन्नति के संबंध में उत्पन्न कोई स्थानीय समस्या।

वा से आ 96

(ii) सहायक वायुसेना की यूनिट और स्क्वाड्रन के सदस्यों का सामान्य कल्याण।

(iii) केन्द्रीय या राज्य सलाहकार समिति या सक्षम अधिकारी द्वारा उसे सौंपा गया कोई अन्य विषय ।

<u>अध्याय **IV** ख</u>

## अधिनियम के अधीन पंजीकृत व्यक्तियों की सेवामुक्ति के बाद सिविल नौकरी में बहाली

35.ग धारा 27 के अधीन संबोधित किसे किया जाए और धारा 29 के अधीन आवेदन किसे भेजा जाए, का प्राधिकार– धारा 27 की उपधारा (1) और धारा 29 की उपधारा (3) के प्रावधानों के तहत विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, जिसको कोई भी पदनाम दिया गया हो, उस जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी होगा जिसके अधिकार क्षेत्र के स्थानीय सीमाओं के अंदर बहाली का दावा करने वाला व्यक्ति, अधिनियम के अधीन भारत या विदेश में सिविल प्राधिकारियों या वायुसेना के सहायतार्थ सेवा हेतु प्रशिक्षण के लिए बुलाए जाने के तुरन्त पहले नौकरी करता था।

35. (घ) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली जांच की प्रकृति – जब नियम 35 ग में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को संबोधित करके किसी पक्ष द्वारा धारा 27 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन कोई आवेदन किया जाए तो ऐसे आवेदन की एक प्रति प्रतिपक्ष को दी जाती है और दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए युक्तिसंगत मौका देने और आगे की ऐसी जांच पड़ताल, जो वह उचित समझता है, कराने के बाद वह प्राधिकारी उपर्युक्त परन्तुक में उल्लिखित आदेशों में से कोई आदेश जारी करेगा।

35 (च) धारा 28 के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकार – जब किसी भी व्यक्ति को धारा 25 के अधीन सेवा हेतु बुलाया जाता है, वह व्यक्ति –

(क) सेवा में बुलाए जाने से तुरन्त पहले जो नौकरी छोड़ी थी उसके नियोजन के लिए कर्मचारियों के हितार्थ नियोक्ता द्वारा अनुरक्षित या संचालित किसी भविष्य निधि तथा अधिवर्षिता निधि या अन्य स्कीम जो भी लागू हो, में अंशदान का विकल्प रखेगा। अंशदान ऐसी निधि या स्कीम को नियंत्रित करनेवाले नियमों के अन्तर्गत उस पर लागू दरों पर



होगा। नियोक्ता उसके अंशदान को उपर्युक्त ब्याज सहित, ऐसी निधि या स्कीम के नियमानुसार उसके खाते में जमा कराता रहेगा।

(ख) ऐसी निधि या योजना के संचालन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुसार अनुज्ञेय होने पर वह अपने खाते में जमा राशि की इसके नियमों के प्रावधानों के अनुसार निकासी कर सकता है।

स्पष्टीकरण – किसी अंशदान या अनुज्ञेय निकासी की राशि कोपरिकलन के लिए ऐसे व्यक्ति का वेतन माना जाएगा जो तब मिलता, जब उसे सेवा में न बुलाया गया होता।

35 (छ) वेतन और भत्ते में अंतर और उसकी वसूली – जब नियम 35 ग में उल्लिखित प्राधिकारी का उपधारा (3) के प्रावधानों के अधीन किसी सदस्य द्वारा आवेदन किया जाता है, दोनों पक्षों को सुनवाई के समुचित अवसर प्रदान करने और विषय के संबंध में आगे की जांच, यदि कोई की जानी हो, जिसे वह उचित समझता है, करने के बाद यदि वह इस बात से संतुष्ट होता
है कि नियोक्ता ने उपधारा (2) में यथा प्रदत्त वेतन और भत्तों में अंतराल राशि का भुगतान नहीं किया है या भुगतान करना अस्वीकार कर दिया है तो प्राधिकारी उस राशि को निर्धारत करता है जिनके लिए सदस्य हकदार है और इस प्रकार निर्धारित राशि नियोक्ता से ऐसे वसूल की जाएगी जैसे कि वह नियोक्ता के विरूद्ध एक सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा पारित धन डिक्री द्वारा वसूल की जाती है।

## अध्याय V

## विविध

36. पूर्वताक्रम – वायुसेना रिजर्व और सहायक वायुसेना के सदस्य, किसी भी वायुसेना रिजर्व या सहायक वायुसेना के सदस्य किसी भी वा से रिजर्व या सहायक वायु सेना में, जैसी भी स्थिति हो, अपने अपने रैंकों में नियुक्ति की तारीख के अनुसार पूर्वता प्राप्त करेंगे।

किन्तु ऐसे सदस्यों के, जो अपनी नियुक्ति के पहले वायुसेना में अफसर थे, परस्पर पूर्वता के निर्धारण में वायुसेना में उनके संबंधित रैंक की वरिष्ठता पर विचार किया जाएगा।

वा से आ 96

37. अफसरों का त्याग पत्र :– (क) केन्द्रीय सरकार की राय में यदि कोई अफसर कदाचार का दोषी है या अन्यथा सेना में बने रहने के लिए अनुपयुक्त है तो किसी भी समय उसे वायुसेना रिजर्व या सहायक वायुसेना के कमीशन से त्यागपत्र देने के लिए कहा जा सकता है। अगर ऐसा अफसर अपने कमीशन से त्यागपत्र का

औपचारिक आवेदन नहीं देता है तो उसका कमीशन अनिवार्यतः समाप्त कर दिया जाएगा।

(ख) कोई भी अफसर अपने कमीशन से इस्तीफा देने की अनुमति के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसे आवेदन के साथ मामले से संबंधित परिस्थितियों का संपूर्ण ब्यौरा भी देना चाहिए।

38. <u>वायुसैनिक की सेवामुक्ति</u> – (क) किसी भी वायुसैनिक को सक्षम प्राधिकारी के आदेश से निम्न में से किसी आधार पर सेवामुक्त किया जा सकता हैः–

(i) चिकित्सीय अनुपयुक्तता
(ii) असंतोषजनक आचरण
(iii) अदक्षता
(iv) सेवाओं की आवश्यकता न रहना

(ख) वायुसेना रिजर्व या सहायक वायुसेना के वायुसैनिक को उसके आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी उसे सेवामुक्त कर सकता है। ऐसे आवेदन के साथ मामले से संबंधित परिस्थितियों का संपूर्ण ब्यौरा भी दिया जाना चाहिए।

39. <u>बरखास्तगी और निष्कासनः</u>– वायुसेना रिजर्व या सहायक वायुसेना के किसी अफसर या वायुसैनिक को उसकी सेवाकाल की समाप्ति के पहले केन्द्रीय सरकार बरखास्त या निष्कासित कर सकती है यदि उसकी राय में परिस्थितियां ऐसी बरखास्तगी तथा निष्कासन को उचित ठहराती है।

40. <u>सेवा–मुक्ति प्रमाण–पत्र</u> – कोई भी वायुसैनिक, जिसे किसी भी वायुसेना रिजर्व या सहायक वायुसेना से निष्कासित या सेवा मुक्त कर दिया जाता है, को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिसमें निम्न ब्यौरे होंगे –

(क) उसकी सेवाएं समाप्त करने वाले प्राधिकारी का नाम;
(ख) इस प्रकार सेवा–समाप्त करने का कारण;

वा से आ 96

(ग) वायुसेना रिजर्व या सहायक वायुसेना में उसके सेवाकाल का पूरा विवरण; और

(घ) उसका चरित्र और ट्रेड प्रवीणता।

41. <u>कोर्ट मार्शल या जांच अदालत के लिए लिए समन करने का दायित्व</u> – किसी भी वायुसेना रिजर्व या सहायक वायुसेना के सदस्य को कोर्ट मार्शल, जांच अदालत या भारतीय वायुसेना द्वारा गठित किसी समान निकाय में सदस्य या गवाह के रूप में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकेगा। किन्तु किसी भी सदस्य को तब तक कोर्ट मार्शल के सदस्य के रूप में नहीं बुलाया जा सकेगा जब तक कि वह 1950 के वायुसेना अधिनियम XIV की शर्तो को पूरा नहीं करता।

42. <u>विदेशी राज्य की सेवा</u> – किसी भी वायुसेना रिजर्व या सहायक वायुसेना का कोई सदस्य ऐसे रिजर्व या सेना में अपनी सेवा अवधि में अथवा उसके बाद किसी भी समय केन्द्रीय सरकार की लिखित अनुमति के बिना किसी विदेशी राष्ट्र में सेवा नहीं कर सकता।

43. <u>पते में परिवर्तन</u> – किसी वायुसेना रिजर्व या सहायक वायुसेना का कोई सदस्य सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी को अपने पते में हुए परिवर्तन के बारे में सूचित करेगा।

44. <u>निकटतम संबंधी में परिवर्तन</u> :– किसी भी वायुसेना का रिजर्व या सहायक वायुसेना का कोई सदस्य अपने निकटतम संबंधी के नाम, पते या रिश्ते में हुए परिवर्तनों की सूचना देगा। यदि वह व्यक्ति जिसे सदस्य स्वयं के साथ घटित होने वाली किसी दुर्घटना के बारे में सूचित कराना चाहता है, जो उसका निकटतम संबंधी नहीं है, उस व्यक्ति के नाम और पते में हुए परितर्वन के बारे में भी उसे सूचित करना चाहिए।

45. <u>आविष्कार</u> – वायुसेना रिजर्व या सहायक वायुसेना का कोई सदस्य जो थलसेना, नौसेना या वायुसेना के उपस्कर के किसी नए डिजाइन का आविष्कार करता है या उसमें कोई परितर्वन करता है, उसके पेटेंट के लिए आवेदन करने के पहले उसे ऐसे आविष्कार या परिवर्तन के बारे में सक्षम प्राधिकारी को या उसके द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी को रिपोर्ट करनी होगी।

वा से आ 96

46. <u>विदेश यात्रा</u> – किसी वायुसेना रिजर्व या सहायक वायुसेना का कोई सदस्य जो बाहर किसी देश में यात्रा पर जा रहा है, वह एक निजी व्यक्ति के रूप में यात्रा पर जाएगा। वह अपने प्रस्थान की अभीष्ट तारीख, गैरहाजिरी की अवधि और विदेश में अपने पते की सूचना सक्षम प्राधिकारी को अपने प्रस्थान के कम से कम चार सप्ताह पहले देगा।

47. <u>कार्यालयी सूचना का प्रकटीकरण</u> – किसी वायुसेना रिजर्व या सहायक वायुसेना का सदस्य सक्षम प्राधिकारी की लिखित पूर्वानुमति के बिना सेना संबंधी कोई सूचना प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में प्रकाशित या प्रेस को सूचित नहीं करेगा या सशस्त्र सेनाओं से संबंधित किसी भी विषय, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक, के बारे में अपना विचार प्रकट नहीं करेगा या कोई किताब या लेख प्रकाशित नहीं करेगा।

<u>स्पष्टीकरण</u> :– ऐसे किसी सदस्य द्वारा किसी संबंधी या मित्र को दिया गया कोई बयान जो बाद में किसी समाचार पत्र में या अन्य कहीं प्रकाशित हो सकता है, जिसमें ऊपर बताई गई किस्म की कोई सूचना निहित हो, उसे इस नियम के प्रयोजन के लिए स्वयं सदस्य द्वारा दिया गया बयान माना जाएगा।

48. <u>व्रिदोही संगठनों के साथ मेल–जोल</u> :– वायु सेना रिजर्व या सहायक वायु सेना का कोई सदस्य किसी भी विद्रोही संगठन की गतिविधियों में भाग नहीं लेगा या उससे कोई संबंध नहीं रखेगा।

49. <u>राजनीतिक गतिविधियां</u>:– अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत सेवा के लिए बुलाए जाने पर वायु सेना रिजर्व या सहायक वायु सेना का कोई भी सदस्य :–

(क) किसी राजनीतिक संगठन या दल के मामलों में उम्मीदवार की चुनाव समिति के सदस्य के लिए या सदस्य के रूप में कार्य करते हुए या सार्वजनिक रूप से बोलते हुए या ऐसे संगठन या दल के प्रयोजन को पूरा करने के लिए साहित्य प्रकाशित या वितरित करते हुए या किसी अन्य तरीके से सक्रिय रूप से कोई भाग नहीं लेगा ।

(ख) किसी निर्वाचन क्षेत्र को कोई संबोधन जारी नहीं करेगा या किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र या भारत में किसी अन्य विधायिका सीट से चुनाव के लिए उम्मीदवार या संभावित उम्मीदवार के रूप में किसी

वा से आ 96

प्रचार माध्यम से अपने नाम की घोषणा नहीं करेगा या किसी और को ऐसी घोषणा की अनुमति नहीं देगा।

50. <u>निजी मुकदमों में साक्षी</u>:– किसी भी वायु सेना, रिजर्व या सहायक वायु सेना का कोई सदस्य किसी निजी मुकदमें में गवाही देने का नोटिस तामील होने पर, यदि मामला सेवा ड्यूटियों से जुड़ा हो, तो ऐसा नोटिस प्राप्त होने के बारे में तुरन्त सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा। सक्षम प्राधिकारी संबंधित सदस्य को इस संबंध मं तुरन्त अनुदेश जारी करेगा कि ऐसे साक्ष्य के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की

धारा 123 और 124 के अंतर्गत क्या कुछ विशेषाधिकार का दावा किया जा सकता है और वह सदस्य ऐसे अनुदेशों के अनुसार काम करेगा ।

51. प्रशिक्षण– (1) वायु रक्षा रिजर्व का प्रत्येक सदस्य प्रत्येक वर्ष चार सप्ताह की अवधि का प्रशिक्षण लेगा। प्रशिक्षण ऐसे समय और भारत में ऐसे स्थानों पर होगा जिन्हें समय–समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी अन्य प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यह सदस्य प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित न्यूनतम प्रशिक्षण पूरा करने के लिए बाध्य होगाः–

(i) अफसर (वायुकर्मीदल) – 20 घंटों की उड़ान और 80 घंटों का जमीनी प्रशिक्षण,
(ii) अफसर (भू–शाखाएं) – 80 घंटों का जमीनी प्रशिक्षण,
(iii) एयर मैन (वायुकर्मीदल) – 20 घंटों की उड़ान और 80 घंटों का जमीनी प्रशिक्षण,
(iv) एयरमैन (भू–ट्रेड) – 80 घंटों के जमीनी अनुदेश,

किन्तु सक्षम प्राधिकारी किसी भी सदस्य को ऐसे प्रशिक्षण से पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकता है या ऐसे प्रशिक्षण की अवधि बढ़ा सकता है।

(2) सहायक वायु सेना का प्रत्येक सदस्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित प्रशिक्षण लेगा और ऐसे प्रशिक्षण के लिए समय और स्थान का निर्धारण भी सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

वा से आ 96

(3) जहां प्रशिक्षण कार्य लगातार नहीं चलता है वहां एक दिन में 4 घंटे का वास्तविक प्रशिक्षण होगा और उन मामलों में जहां किसी भी एक दिन के दौरान 4 घंटों से कम प्रशिक्षण कार्य हुआ हो, एक दिन के कई खंडों को मिलाकर एक दिन पूरा किया जा सकता है जिनकी संख्या चार से अधिक न हो।

52. बुलावा – (1) बुलावा आदेश पर सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(2) बुलावा आदेश वायु सेना रिजर्व या सहायक वायु सेना के किसी भी सदस्य को निम्नलिखित तरीकों से तामील किया जा सकता है :–

(क) व्यक्तिगत रूप से;

या

(ख) पंजीकृत डाक के माध्यम से आादेश जारी करके;

(ग) परिवार के किसी भी वयस्क पुरूष सदस्य को तामील कराके;

या

(घ) यदि उपर्युक्त किसी भी तरीके से आदेश तामील नहीं हो सका हो तो उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान पर आदेश की एक प्रति चस्पा करके ।

53. <u>सैनिक संपत्ति का गलत तरीके से निपटान</u> :– वायु सेना रिजर्व या सहायक वायु सेना के किसी भी सदस्य को रिजर्व या सहायक वायु सेना के सदस्य के रूप में उसे जो कुछ जारी किया गया है, उसको चुराने, बेचने, गिरवी रखने, गलत ढंग या लापरवाही के चलते नष्ट करने, नुकसान पहुंचाने या खोने पर या ऐसे रिजर्व या सहायक बल के एक सदस्य के रूप में उसे जारी की गई किसी वस्तु को मांग किए जाने पर इरादतन इनकार करने या इसे सुपुर्द करने से आनाकानी करने पर उसके मूल्य की भरपाई करनी होगी।

54. <u>दंड</u> :– किसी वायु सेना रिजर्व या सहायक वायु सेना के किसी सदस्य द्वारा बगैर किसी युक्तिसंगत कारण के इनमें से किसी भी नियम के उपबंधों का पालन करने में असफल रहने पर उसे अर्थ दंड दिया जाएगा जो पचास रूपए तक हो सकता है।

55. <u>इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी दायित्व या बाध्यता से छूट प्रदान करने वाली शर्ते</u> :– (1) इस अधिनियम के तहत किसी भी दायित्व या

वा से आ 96

बाध्यता के अधीन कोई व्यक्ति (जिसे इसके बाद आवेदक कहा जाएगा) आवेदक के सामन्य निवास या व्यवसाय स्थान से निकटतम स्थित सक्षम प्राधिकारी से इस अधिनियम या इसके किसी उपबंध के अंतर्गत किसी दायित्व या बाध्यता से छूट के लिए इस आधार पर आवेदन कर सकता है कि यदि इस अधिनियम के तहत उसे सेवा के लिए बुलाया गया तो उसे असाधारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और ऐसे आवेदन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनी सिफारिशों सहित केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, यदि इस बात से संतुष्ट हो कि यदि आवेदक को इस अधिनियम के तहत सेवा के लिए बुलाया गया तो उसे असाधारण कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी तो वह आवेदक को इस अधिनियम या इसके किसी उपबंध के तहत किसी दायित्व या बाध्यता से पूरी तरह या उन शर्तो तथा प्रतिबंधों के साथ छूट प्रदान कर सकती है जिन्हें लगाना केन्द्रीय सरकार उचित समझे :

किन्तु केन्द्रीय सरकार किसी भी समय छूट को रद्द या शर्तो अथवा प्रतिबंधों में संशोधन कर सकती है यदि उस स्थिति में परिवर्तन हुआ हो जिसके तहत छूट प्रदान की गई थी।

(3) इस नियम के तहत प्रदान की गई छूट केवल उस तारीख से प्रभावी होंगी जो छूट प्रदान करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट होगी और यदि कोई तारीख विनिर्दिष्ट न की गई हो तो यह आदेश की तारीख से प्रभावी होगी।

<u>अनुसूची 1</u>

<u>फार्म 1</u>

रिजर्व और सहायक वायु सेना अधिनियम के खंड 5 के उप–खंड 2 के अन्तर्गत नियमित वायु सेना रिजर्व में नियुक्ति का विशेष आदेश

(1) मुझे आपको सूचित करने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार ने नियमित वायु सेना रिजर्व में सेवा के लिए आपको उपयुक्त माना है और उसे एतद्द्वारा नियमित वायु सेना रिजर्व में आपको ––––––– तारीख से नियुक्त करते हुए हर्ष हो रहा है।

वा से आ 96

(2) आप उपर बताई गई तारीख से वायु रक्षा रिजर्व सहायक वायु सेना के सदस्य नहीं रहेंगे।

(3) नियमित वायु सेना रिजर्व में नियुक्त किए जाने पर वायु रक्षा रिजर्व/सहायक वायु सेना के आपके अधिकार और दायित्व समाप्त हो जाएंगे और आप रिजर्व और सहायक वायु सेना अधिनियम और नियमों तथा समय–समय पर निर्मित किए गए कई अन्य विनियमों और आदेशों में निर्धारित किए गए नियमित वायु सेना रिजर्व की शर्तो, दायित्वों और विशेषाधिकारों द्वारा शासित होंगे।

तारीख : ––––––––––––

स्थान –––––––––––––                                        सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

सेवा में,

——————————
——————————
——————————

फार्म II
अपेक्षित ब्यौरा
(उम्मीदवार खंड 'क' और 'ग' को भरेंगे)

खंड क

1. पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)
(उस क्रम में जिसमें आप
शासकीय प्रयोजन के लिए
अपना नाम दिखाया जाना
चाहते हैं। कुलनाम को
रेखांकित करें ।)

2. घर का स्थायी पता

वा से आ 96

3. डाक का पता (पूरा)
(पते में हुए किसी भी परिवर्तन
की सूचना तुरन्त वायु सेना मुख्यालय
नई दिल्ली को दी जानी चाहिए )

ब्यौरा देने वाले व्यक्ति
के हस्ताक्षर

स्थान ——————————

तारीख ——————————

खंड 'ख'

(पृष्ठांकन पर उस नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाए जिसके अधीन व्यक्ति नियुक्त है)

अग्रेषित।

स्थान ————————————
तारीख ————————————
हस्ताक्षर ————————————
पदनाम ————————————

खंड ग

1. जन्मतिथि ————————————

2. जन्मस्थान ————————————

3. धर्म ————————

वा से आ 96

4. (क) राज्य ————————————

(ख) जिला या प्रभाग ————————

5. विवाहित या अविवाहित, यदि विवाहित हों तो पत्नी का विवाह से पहले का नाम, विवाह का स्थान और तारीख लिखें ।

6. यदि विवाहित हों तो बच्चों की संख्या, उनके जन्म की तारीखें और उनका लिंग लिखें

7. निकटतम संबंधी के साथ संबंध दिखाते हुए उसका नाम, पता और व्यवसाय (यदि विवाहित हों तो किसी व्यक्ति की निकटतम संबंधी उसकी पत्नी होती है )

8. (क) क्या आप भारत के नागरिक है? यदि हां

ते क्या जन्मजात, या वंशानुक्रम से या पंजीकरण से या नागरिकता प्रदत्त या अन्य किसी प्रकार से हैं ?

(ख) क्या आप उन स्थानों से प्रवासित हुए है जो अब पाकिस्तान में है यदि हां तो बताएं :–

(i) आपके प्रवासित होने की तारीख क्या थी ?

(ii) यदि आप 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद पाकिस्तान से प्रवासित हुए हैं तो क्या आपको भारत सरकार द्वारा एक पात्रता–प्रमाणपत्र जारी किया गया था ?

9. यदि आप एक शाकाहारी व्यक्ति हैं तो क्या आपको मांसाहारी व्यक्तियों के साथ खाना खाने या किसी मांसाहारी रसोईघर में बनाया गया खाना खाने में कोई आपत्ति है ? :

वा से आ 96

10. (क) पिता का नाम (पूरा और बड़े अक्षरों में):

(ख) उनका स्थायी पता क्या है या क्या था ? यदि जीवित है तो उनका वर्तमान पता क्या है?:

(ग) उनके जन्म का देश :

(घ) राष्ट्रीयता :

(च) उनका व्यवसाय क्या है या क्या था ? :

(छ) क्या आपके पिता ने कभी अपनी राष्ट्रीयता बदली थी ? :

11. (क) माता के जन्म का देश :
*(ख) राष्ट्रीयता :

12. क्या आपके पिता या किसी नजदीकी रिश्तेदार ने भारतीय संघ की सशस्त्र सेनाओं में सेवा की है ? :
यदि हां तो उसका संक्षिप्त विवरण दें और अपने बयान के समर्थन में किसी दस्तावेजन की प्रतियां लगाएं। :

13. आपने जो परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं और उन सभी में प्राप्त वर्ग, श्रेणी या अन्य विशेष योग्यताओं का ब्यौरा दें। :

---

*राष्ट्रीयता का अभिप्राय देश (भारत, नेपाल, बर्मा इत्यादि) से है न कि संप्रदाय (सिख, जाट, एंग्लो इंडियन इत्यादि) से, जिससे व्यक्ति संबंध रखता है।

---

वा से आ 96

| +उत्तीर्ण परीक्षा या डिग्री | विशेष योग्यता सहित परिणाम और श्रेणी | स्कूल/कॉलेज जहां से शिक्षा प्राप्त की | अवधि कब से | कब तक |
|---|---|---|---|---|

+प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियां संलग्न की जाएं ।

---

14. व्यावसायिक और/या तकनीकी अर्हताएं (जैसे यदि कोई ग्राउंड इंजीनियर्स लाइसेंस रखते हों या किसी चार्टड संस्था या एसोसिएशन के सदस्य हों, तो उल्लेख करें)

(क) केवल पायलटों के लिए:–

---

उड़ान घंटे

---

| (क) उड़ाए गए वायुयान की किस्म | एकल दिन में | एकल रात में | युग्म दिन में | युग्म रात में |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| कुल योग | | | | |

(ii) कोई अन्य ब्यौरा

(ख) (i) अन्य वायुकर्मी दल के लिए:–

| | उड़ान घंटे | | |
|---|---|---|---|
| | दिन में | रात में | कुल |
| नेविगेटर (विमान निदेशक) | | | |
| फ्लाइट गनर | | | |
| फ्लाइट इंजीनियर | | | |
| फ्लाइट सिगनलर | | | |

वा से आ 96

(ii) कोई अन्य ब्यौरा

15. किसी भाषा में अर्हता का उल्लेख करें

(क) (प्राच्य (पूर्वी देश की और यूरोपीय) और प्रत्येक में दक्षता–स्तर बताएं)

16. (क) क्या आपके पास कोई सिविलियन फ्लाइंग लाइसेंस है ? यदि हां, तो अपने कथन के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें।

(ख) यदि उड़ान अनुभव से संबंधित कोई अन्य प्रासंगिक सूचना हो तो उल्लेख करें।

17. (क) आप कौन सा खेल खेलते हैं या आपने खेला है ?

(ख) कोई अधिकारिक हैसियत (जैसे स्कूल

मानीटर) जिस पर आप रहे हों या खेलों अथवा एथलेटिक्स में आपने जो विशेष योग्यता हासिल की हो उसका तारीख सहित उल्लेख करें।

18. रोजगार :– वर्तमान रोजगार और उन सभी रोजगारों, जिन पर आपने काम किया है, का पूरा ब्यौरा दें। इसमें किसी सरकारी विभाग में की गई नौकरी का धारित किए गए रैंक और संबंधित तारीखों सहित ब्यौरा शामिल होना चाहिए।

नोट :– व्यक्ति यह अवश्य बताए कि वह सीधे तौर पर किसके प्रति जवाबदेह था।

| नियोक्ता का नाम | नियुक्ति की तारीख | छोड़ने की तारीख | छोड़ने का कारण | रोजगार का स्वरूप | प्रति माह वेतन | नियोक्ता का स्थान एवं पता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

19. क्या आपने कभी भारत की सशस्त्र सेनाओं के किसी भी अंग, तीनों सेनाओं के किसी भी रिजर्व बल, सहायक वायु सेना, प्रादेशिक सेना या किसी दूसरे देश की सेनाओं के किसी भी अंग में नौकरी की है ? यदि हां तो सेवा, यूनिट आदि का उल्लेख करें ।

(क) कितनी अवधि के लिए (तारीखें दें)
(ख) छोड़ते समय संख्या और धारित रैंक
(ग) छोड़ने का कारण

20. (क) क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया अभियुक्त बनाया गया, दोषी सिद्ध किया गया, प्रतिबंधित किया गया, नजरबंद किया गया या बाहर निकाला गया है या आपके उपर किसी प्रचलित आपराधिक कानून के अन्तर्गत अन्य कोई मुकदमा चलाया गया है ?

(ख) क्या आप किसी प्रकार के राजनीतिक, सांस्कृतिक दल या संगठन के सदस्य हैं/कभी रहे हैं ? यदि हां तो उस पार्टी या संगठन के नाम के साथ अपनी सदस्यता की अवधि/अवधियों का उल्लेख करें।

(ग) क्या आप कभी भारत में सशस्त्र सेनाओं के किसी अंग, तीनों सेनांगों में से किसी भी रिजर्व सेना, प्रादेशिक सेना, सहायक वायु सेना, राष्ट्रीय कैडेट कोर, सरकारी या सिविल नौकरी से बर्खास्त किए गए हैं ?

21. "मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं किसी राज्य या देश की सशस्त्र सेनाओं में किसी योद्धी या गैर योद्धी पद से किसी भी समय भगोड़ा घोषित,

बर्खास्त या सेवामुक्त नहीं किया गया हूं और न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा कभी कैद की सजा सुनाई गई है"।

हस्ताक्षर ——————————

नोट :– यह स्पष्ट रूप से घोषित किया जाता है कि उपलब्ध रिकार्ड से जांच किए जाने पर कोई घोषणा/घोषणाएं असत्य पाए जाने पर व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

22. मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

ब्यौरा देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

## फार्म III
## आवेदन फार्म

(सहायक वायु सेना में ————————————कमीशन के लिए उम्मीदवार खंड 'क' और 'ग' भरेंगे)

### खंड 'क'

1. पूरा नाम (बड़े अक्षरों में )
   उस क्रम में, जिसमें आप शासकीय
   प्रयोजन के लिए अपना नाम दिखाना
   जाना चाहते हैं। कुलनाम को रेखांकित
   करें ।

2. घर का स्थायी पता

3. डाक का पता (पूरा)
   पते में किसी भी परिवर्तन की सूचना तुरन्त
   वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली को दें।
4. मैं एतद्द्वारा सहायक वायु सेना में
   कमीशन के लिए आवेदन करता हूं।

स्थान —————————— ——————————
तारीख —————————— (आवेदक के हस्ताक्षर)

<u>खंड 'ख'</u>

(प्रमाणपत्र पर उस नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं जिसके अधीन आवेदक नियुक्त है)

मैं —————————— के इस आवेदन में दी गई जानकारियों से सहमत हूं और सहायक वायु सेना में उसके प्रवेश के लिए अपनी सहमति देता हूं ।

स्थान —————————— ——————————
(हस्ताक्षर)

तारीख —————————— ——————————
( पदनाम )

<u>खंड 'ग'</u>

1. जन्म–तिथि

2. जन्म स्थान

3. धर्म

4. (क) राज्य
   (ख) जिला या प्रभाग

5. विवाहित या अविवाहित, यदि विवाहित हों तो पत्नी का विवाह से पहले का नाम, विवाह का स्थान और तारीख लिखें ।

6. यदि विवाहित हों तो बच्चों की संख्या उनके जन्म की तारीखें और उनका लिंग लिखें ।

7. निकटतम संबंधी के साथ संबंध दर्शाते हुए उसका नाम, पता और व्यवसाय (विवाहित व्यक्ति का निकटतम संबंधी उसकी पत्नी होती है)

8 क्या आप जन्म से और/या अधिवास से भारतीय संघ के नागरिक हैं ?

9. यदि आप केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं तो क्या आपको यह आवेदन जमा करने की अनुमति प्रदान की गई है ? संबंधित प्राधिकार संलग्न करें।

10. यदि आप एक शाकाहारी व्यक्ति हैं तो क्या आप मांसाहारी व्यक्तियों के साथ खाना खाने या किसी मांसाहारी रसोईघर में बनाया गया खाना खाने में कोई आपत्ति है ?

11. (क) पिता का नाम (पूरा और बड़े अक्षरों में)

(ख) उनका स्थायी पता क्या है,या क्या था ? यदि जीवित हैं, तो उनका वर्तमान पता क्या है ?

(ग) उनके जन्म का देश

(घ) राष्ट्रीयता

(च) आपके पिता का व्यवसाय क्या है या क्या था ?

(छ) क्या आपके पिता ने कभी अपनी राष्ट्रीयता बदली थी ?

12. (क) माता के जन्म का देश
*(ख) राष्ट्रीयता

13. क्या आपके पिता या किसी निकट संबंधी ने भारतीय संघ की सशस्त्र सेनाओं में सेवा की है ?
यदि हां तो उसका संक्षिप्त विवरण दें और अपने बयान के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियां लगाएं।

14. आपने जो परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं उन सभी में प्राप्त वर्ग, श्रेणी या अन्य विशेष योग्यता सहित विवरण दें।

| +परीक्षा या डिग्री | परिणाम | श्रेणी | स्कूल/कालेज जहां शिक्षा प्राप्त की | अवधि कब से कब तक | विश्व विद्यालय का नाम | लिए गए विषय |
|---|---|---|---|---|---|---|

15. किसी भी भाषा संबंधी अर्हता (प्राच्य और यूरोपियन) का उल्लेख करें और प्रत्येक का दक्षता स्तर बताएं।

---

*राष्ट्रीयता का अभिप्राय देश (भारत, नेपाल, बर्मा इत्यादि) से है न कि संप्रदाय (सिख, जाट, एंग्लो– इंडियन इत्यादि) से जिससे व्यक्ति संबंध रखता है।

वा से आ 96

6. (क) क्या आपके पास कोई सिविलियन फ्लाइंग लाइसेंस है ? यदि हां तो अपने कथन के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें ।

(ख) यदि उड़ान अनुभव से संबंधित कोई अन्य संबद्ध सूचना हो तो उसका उल्लेख करें।

17. (क) आप कौन सा खेल खेलते हैं या आपने खेला है ?

(ख) कोई आधिकारिक हैसियत (जैसे स्कूल मानीटर), जिस पर आप रहे हों या खेलों अथवा एथलेटिक्स में आपने जो विशेष योग्यता हॉसिल की हो, उसका तारीख सहित उल्लेख करें ।

18. रोजगार – अपने वर्तमान रोजगार और उन सभी रोजगारों, जहां आपने कार्य किया है, का पूरा ब्यौरा दें। इसमें किसी सरकारी विभाग में की गई सेवा का धारित रैंक और संबंधित तारीखों सहित ब्यौरा शामिल होना चाहिए।

---

+ प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियां संलग्न की जाएं।

वा से आ 96

नोट :– आवेदक यह अवश्य बताएं कि वह सीधे तौर पर किसके प्रति और किस कार्मिक के लिए, यदि कोई हो, जवाबदेह था।

| नियोक्ता का नाम | नियुक्ति की तारीख | छोड़ने की तारीख | छोड़नें की तारीख | रोजगार का स्वरूप | प्रति माह वेतन | नियोक्ता का स्थान एवं पता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

19. क्या आपने नौसेना, थल सेना या वायु सेना, भारतीय प्रादेशिक सेना, एन सी सी या सहायक वायु सेना में नौकरी की है?

यदि हां तो फार्मेशन, यूनिट आदि का उल्लेख करें।
(क) कितनी अवधि के लिए (तारीखें बताएं)
(ख) छोड़ते समय नंबर और धारित रैंक

20. (क) क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया अभियुक्त बनाया गया, दोषी सिद्ध किया गया, प्रतिबंधित किया गया, नजरबंद किया गया या बाहर निकाला गया है या अन्य किसी आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम या किसी प्रचलित आपराधिक कानून के अन्तर्गत आप पर मुकदमा चलाया गया है ?

(ख) क्या राजनीतिक, सांप्रदायिक किस्म के किसी दल या संगठन के आप सदस्य हैं/कभी रहे हैं? यदि हां तो दल और संगठन के नाम के साथ अपनी सदस्यता की अवधि/अवधियों का उल्लेख करें।

(ग) क्या आप प्रादेशिक सेना, सहायक वायु सेना, एन.सी.सी., इंडियन फ्लीट रिजर्व या सिविल नौकरी से बर्खास्त किए गए हैं ?

21. "मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं किसी राज्य या देश की सशस्त्र सेनाओं में किसी योद्धी या गैर योद्धी पद से किसी भी समय भगोड़ा घोषित, बर्खास्त या सेवामुक्त नहीं किया गया हूं और न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा कभी कोई कैद की सजा सुनाई गई है ।"

हस्ताक्षर ——————————

22. नोटः— यह स्पष्ट रूप से घोषित किया जाता है कि उपलब्ध रिकार्डो की जांच करने पर आवेदक की कोई घोषणा/घोषणाएं असत्य पाए जाने पर उसके खिलाफ कानूनी और अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। अनुशासनिक कार्रवाई की सीमा यह होगी कि उम्मीदवार का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह प्रशिक्षणाधीन है तो उसका प्रशिक्षण रद्द कर दिया जाएगा। कानूनी कार्रवाई की सीमा भारतीय दंड संहिता की धारा 182 में निर्धारित की गई है।

---

प्रमाणपत्र 'ग'

23. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त सूचना सही है और यदि मुझे कमीशन प्रदान किया जाता है तो मैं पुनः घोषणा करता हूं कि जब तक मेरी सेवाओं की जरूरत रहेगी या जब तक मेरा त्यागपत्र स्वीकार नहीं कर लिया जाता, तब तक मैं विधि द्वारा स्थापित भारत सरकार की सेवा करता रहूंगा और कि मैं सेना की किसी भी शाखा या विभाग में जहां मुझे नियुक्त किया जाए या बाद में, विश्व के किसी भाग में स्थानान्तरित किया जाए, सेवा करने के लिए तत्पर हूं।

————————————————

( साक्षी के हस्ताक्षर )
( ए.एफ.आर.ओ या अन्य राजपत्रित या कमीशन प्राप्त अफसर )

स्थान ——————————————

तारीख ——————————————

——————————————

आवेदक के हस्ताक्षर

# फार्म IV
## सहायक वायु सेना
## नामांकन फार्म

सं0 ————————— नाम ————————  का ———————————
स्क्वाड्रन यूनिट में नामांकन

भाग 1

—————————————————————————————————————

नामांकन के पूर्व पूछे जाने वाले प्रश्न

—————————————————————————————————————

1. आपका नाम क्या है ?
2. आपके पिता का नाम और पता क्या है ?
3. क्या आप भारत के नागरिक हैं ?
4. आपका गांव, थाना/पुलिस स्टेशन, तालुका, तहसील और प्रान्त/राज्य कौन सा है ?
5. आपका डाक घर कौन सा है ?
6. आपका रेलवे स्टेशन कौन सा है ?
7. आपका वर्तमान व्यवसाय क्या है ?
8. आपका धर्म, जाति या जनजाति क्या है ?
9. आप कहां नौकरी करते हैं?
10. आपकी शैक्षणिक अर्हता क्या है ?

वा से आ 96

11. आपकी उम्र क्या है ?

12. क्या आपको कभी किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किया गया है ? और यदि हां, तो किन परिस्थितियों में और सजा क्या थी ?

13. क्या आप नियमित बलों से संबंध रखते हैं या रिजर्व से ?

14. क्या आपने कभी नियमित बलों या रिजर्व में सेवा की है ? यदि हां तो सेवा की अवधि और सेवामुक्ति का कारण बताएं ।

15. क्या आप रिजर्व और सहायक वायु सेना अधिनियम 1952 के अंतर्गत नामांकित किए जाने के इच्छुक हैं ?

16. आप किस यूनिट में नामांकित किए जाने के इच्छुक हैं ?

17. क्या आप वायु सेना प्रशिक्षण लेने और अधिनियम में विनिर्दिष्ट अनुसार वायु सेना सेवा का निष्पादन करने और अपनी वायु सेना ड्यूटी के निर्वाह में जातिगत व्यवहार से कोई बाधा न आने देने के लिए कृत संकल्प हैं ?

    नोट :– यहां पर जाति मूलक व्यवहार को बाधा न बनने देने का मामला ठीक नियमित बलों के उपबंधों की तरह व्यवहार में लाया जाएगा।

18. क्या आप अधिनियम की व्यवस्थानुसार सेवामुक्त किए जाने तक सेवा करने के लिए सहमत हैं ?

19. क्या आपने इस अधिनियम के अधीन नामांकन के लिए पहले कभी आवेदन किया था और यदि हां तो उसकी परिणति क्या थी ?

20. क्या आप प्रादेशिक सेना, सहायक वायु सेना या राष्ट्रीय कैडेट कोर, इंडियन फ्लीट रिजर्व या सिविल नौकरी से बर्खास्त किए गए हैं ?

21. क्या आप टीकाकरण या पुनर्टीकाकरण करवाने के लिए सहमत हैं ?

वा से आ 96

22. क्या आप सरकार से कोई भत्ता प्राप्त करते हैं ? यदि हां तो किस मद में ?

## भाग II
## नामांकन की स्वीकृति के बाद घोषणा

मैं पूरी सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि मैंने इस फॉर्म में प्रश्नों के जो उत्तर दिए हैं वे सही हैं और उनका कोई भी अंश असत्य नहीं है तथा मैं इसमें किए गए वादे को पूरा करने के लिए सहमत हूं।

हस्ताक्षर या अंगूठे का चिह्न ——————————

## भाग III

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक नामांकन की शर्तो को समझता है और उनसे सहमत है ।

नामांकन अफसर के हस्ताक्षर ——————————
नामांकन की तारीख ————————————————

## फार्म V

मैं ———————————— ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और निष्ठा रखूंगा और कि मैं भारत संघ के वायु रक्षा रिजर्व/सहायक वायु सेना में कर्तव्यपरायण रहकर पूरी ईमानदारी और निष्ठा से सेवा करूंगा और वायु, जमीनी या समुद्री मार्ग से जहां भी आदेश दिया जाएगा, जाऊंगा और मैं भारत संघ के राष्ट्रपति और



ऐसे किसी भी अफसर, जो मेरे ऊपर हैं, के आदेशों का अपनी जान जोखिम में डालकर भी पालन करूंगा।

## पुष्टि फार्म

मैं, ———————— पूरी सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और निष्ठा रखूंगा और कि मैं भारत संघ के वायु रक्षा रिजर्व/सहायक वायु सेना में कर्तव्यपरायण रहकर पूरी ईमानदारी और निष्ठा से सेवा करूंगा और वायु,जमीनी या समुद्री मार्ग से जहां भी आदेश दिया जाएगा, जाऊंगा और कि मैं भारत संघ के राष्ट्रपति और ऐसे किसी भी अफसर, जो मेरे ऊपर हैं, के आदेशों का अपनी जोखिम में डाल कर भी पालन करूंगा।

हस्ताक्षर ——————————

19——— के —————— माह की ——————— तारीख को —————————— स्थान पर मेरे समक्ष शपथ ली गई/विधिवत रूप से प्रतीज्ञा ली गई ।

अनुप्रमाणकारी अफसर के हस्ताक्षर

## फार्म **VI**
## हवाई रक्षा रिजर्व रजिस्टर

क्रम संख्या

————————————————————————————————————

घर का स्थायी पता

————————————————————————————————————

जन्म तिथि

————————————————————————————————————

विवाहित या अविवाहित

————————————————————————————————————

नजदीकी रिश्तेदार का नाम और पता

————————————————————————————————————

वा से आ 96

पिता का नाम और पता

————————————————————————————————————

शैक्षणिक योग्यताएं

---

व्यावसायिक और/या तकनीकी योग्यताएं

---

वर्तमान रोजगार का विवरण

---

चिकित्सा परीक्षण का परिणाम

---

पूछताछ एवं चयन बोर्ड का परिणाम

---

कमीशन/नामांकन की तारीख

---

कमीशन/नियुक्ति की समाप्ति की तारीख

---

नियमित हवाई रक्षा रिजर्व में स्थानान्तरण की तारीख

---

अभ्युक्तियां